जिला आपदा प्रबंधन योजना, मधुबनी

खंड – 1

आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना

(क्षमता निर्माण एवं शमन सहित)

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

जिला आपदा प्रबंधन योजना, मधुबनी

खंड – 1

आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना

(क्षमता निर्माण एवं शमन सहित)

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

प्रकाशकः
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

जून, 2013

अधिक जानकारी के लिए कृप्या संपर्क करेंः

जिलाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार
फोनः +91–06276–222217
फैक्स +91–06276–222209
ईमेलः dm-madhubani.bih@nic.in

यह योजना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, बिहार, स्फेयर इंडिया, बिहार राज्य इंटर एजेंसी ग्रुप, मधुबनी जिला इंटर एजेंसी ग्रुप, इफिकोर, टियरफंड और अन्य मूल एजेंसियों के सहयोग से 2012 में तैयार की गई।

Table of Contents

FOREWORD	*vii*
PREFACE	*ix*
ACKNOWLEDGMENTS	*xii*
इस योजना को कैसे प्रयोग करें	*xiii*
अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थः	*xv*
परिचय	xviii
प्रक्रिया अवधि	xix
मधुबनी सदर्भ विश्लेषण	**1**
1. सामान्य सूचना	
2. राजनीतिक / प्रशासनिक	
3. आर्थिक	
4. सामाजिक	
5. तकनीकीः	
6. भौतिक	
7. जलवायु	
2. खतरा, सम्वेदनशीलता, क्षमता विश्लेषण (एच भी सी ए)	**4**
खतरा विश्लेषणः–	
संवेदनशीलता विश्लेषण	
क्षमता विश्लेषण	
समस्या विश्लेषण	**12**
मैक्रो विश्लेषण	
सुक्ष्म विश्लेषण	
डीडीएमपी विकास रणनीति	**18**
हितधारक विश्लेषण	**19**
2ः आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना (क्षमता निर्माण एवं शमन सहित)	21

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी 22

भाग–1: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी की पूर्व तैयारी एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना निर्माण एवं शमन सहित) 23

डीआरआर को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के कार्य

क्षमता निर्माण कार्य–

कार्य निरंतरता कार्रवाई

आपात्कालीन पूर्व तैयारी कार्य

भाग–2: शमन एवं विकास योजनायें 28

शमन योजनायें

बहु खतरा शमन कार्य

शमन के संरचनात्मक उपाय

शमन के गैर–संरचनात्मक उपाय:

खतरों के शमन के विशिष्ट कार्य

शमन की विशिष्ट रणनीति एवं परियोजना

तटबंधों के भीतर के गॉव:

तटबंधों के बगल के गॉव

नीचली जमीन वाले गॉव

नदी से दूर के गॉव:

विकास योजना

शमन एवं आपदा योजना के मजबूतीकरण के उभरते मुद्दो की वकालत

3: जिले में संस्थागत तंत्रा व कार्यान्वयन योजना

भाग–1: मधुबनी जिले में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र 34

परिचय :

जिला स्तर के संस्थानों के वर्गीकरण:

जिला स्तर पर समन्वयन एवं एकीकरण के अच्छे अभ्यास {उदाहरण}:

हितधारकों की भूमिका एवं जबावदेही:

जिला स्तर पर समन्वयन एवं एकीकरण के अच्छे अभ्यास {उदाहरण} तंत्र

- **आवश्यक सेवा कार्य {इएसएफ}**

आवश्यक सेवा कार्य {इएसएफ} के कार्य

इएसएफ प्रबंधन समिति:

- **घटना {हादसा} प्रत्युत्तर प्रणाली {आइआरएस}:**
- **एकीकृत प्रत्युत्त रणनीति {युआरएस}**
- **त्वरित प्रत्युत्तर टीम {क्युआरटी} व आपदा प्रबंधन टीम {डीएमटी}:**

विविध स्तरों पर एकीकरण एवं समन्वयन:

जिला से ग्राम पंचायत तक का उर्ध्वाकार एकीकरण तंत्र:

हितधारक कार्य योजना:

भाग–2: जिला, प्रमंडल, राज्य एवं राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़ाव– 37

राज्यीय एवं राष्ट्रीय जुड़ाव:

स्तर 2 की आपदा का प्रबंधन:

स्तर 3 की आपदा का प्रबंधन:

भाग–3:योजना का कार्यान्वयन 51

- **पदाधिकारी**
- **जबावदेही एवं उत्तरदायित्व**
- **जिला के लिए वित्तीय प्रावधान:**

केन्द्र एवं राज्य स्तर पर कोष की उपलब्धता:

अनुवर्ती कार्यक्रम:

अनुच्छेद 57

Member
National Disaster Management Authority
Government of India

FOREWORD

The formulation of various National guidelines is an important part of the mandate given to the National Disaster Management Authority (NDMA). The National Disaster Management Act, 2005 also mandates authorities at different level to develop a comprehensive disaster management plan at each level.

NDMA's guiding principles for the preparation of the Plan at state and district level has been to draft the Plan in a participatory approach with the preparatory process essentially strengthening the communities, elected local bodies and administration's response and preparedness. NDMA envisages an ideal Disaster Management Plan that ensures local ownership, addresses local needs, and promotes volunteerism and mutual help to prevent and minimize damage.

Therefore, I appreciate the efforts of Bihar State Disaster Management Authority and Madhubani District Disaster Management Authority in partnership with Sphere India, EFICOR and Tearfund for executing our envisioning and guiding principles and developing this model District Disaster Management Plan (DDMP) for Madhubani. I would also like to appreciate the guidance of members of National, State and District Advisory in this endeavor.

I am extremely pleased with the deep involvement, support and cooperation of various stakeholders from community, line departments and other important groups in the preparation of the DDMP Madhubani. I am hopeful that the Madhubani District Disaster Management Plan and its process guidelines would inspire other Districts to follow the multistakeholder participatory approach.

New Delhi
June 2012

T. Nanda Kumar
Member, NDMA

बिहार सरकार

Vice Chairman
Bihar State Disaster Management Authority
Government of Bihar

PREFACE

National Disaster management Act, 2005 mandates for development of comprehensive and holistic District Disaster Management Plan (DDMP) to negate the impact of disasters on the communities, to facilitate timely and effective response to the disasters, and to facilitate holistic disaster management through integration of mitigation, preparedness and DRR measures into development.

India has different geographical characteristics and hazard scenarios in different regions which becomes more complex due to varied socio-economical settings. For each scenario, the Plan would be different to effectively deal with the complexities of the region. Therefore, Bihar State Disaster Management Authority always advocated that for different scenarios and contexts model DDMPs should be made which would serve as guidance for similarly vulnerable Districts.

BSDMA along with National Disaster Management Authority, Sphere India, Tear Fund, EFICOR and other like minded organizations came together to draft model DDMPs for varied hazard scenarios. As a first step, National Advisory Body was set to conceptualize our ideas and decide on Districts for piloting of model DDMPs.

The District of Madhubani was chosen for the first pilot to demonstrate a systematic, dynamic and practical DDMP due to its multi hazard profile of recurrence of floods, Drought, Earth Quake (Zone-V), Fire incidents, Heat waves, Cold waves and High Winds and the prevalence of socio-economic vulnerabilities. Once the district was finalized, a State level Advisory Body at Patna, Bihar and District Advisory Body at Madhubani, Bihar was set up to guide and take forward the process.

I am very pleased that the implementing partners Sphere India, EFICOR, Tearfund, Bihar Inter Agency Group and Inter Agency Group (IAG)-Madhubani have been very meticulous in their approach and have followed every step of the process guideline developed by the Advisory Bodies.

I am elated by this Madhubani District Disaster Management Plan as it has been developed in a consultative manner with constant inputs and feedbacks from all the stakeholders. This Plan has moved beyond the reactive relief based approach and has a concise plan of actions for 53 different stakeholders at District level for disaster risk reduction, emergency response and recovery. The Plan also lays out the coordination structures at varied levels along with defined level for response as per the impact of the incident.

I hope that this plan will be widely used by all the stakeholders in Madhubani encouraging us to make participatory multi-stakeholder plan for other districts of Bihar as well.

Patna

June 2012

Anil Sinha

Vice-Chairman, BSDMA

ACKNOWLEDGMENTS

At the outset, I must express my sincere thanks to all the Members of the National, State and District Advisory Bodies for their invaluable contribution and whole-hearted cooperation to guide the process of developing Model District Disaster Management Plan for Madhubani. But for conceptualization, active guidance as well as high standard of the technical inputs and feedbacks from them, it would have not been possible to bring out this much needed Plan for holistic management of disasters in Madhubani.

I would like to express my gratitude to Shri. T. Nanda Kumar, Honorable Member, NDMA for his guidance, critical review, inputs and motivating all those involved with the Plan. My gratitude and sincere thanks are also to Shri. Anil Sinha, Vice-Chairman, BSDMA for choosing Madhubani as the pilot for model DDMP and his constant guidance to the DDMA and the executing team.

I would like to appreciate the efforts of Sphere India, Tearfund, EFICOR, Inter agency Group Bihar and Inter Agency Group Madhubani for the execution of ideas and benchmarks set by the Advisory Bodies. I would like to place on record that I was extremely pleased by the sincerity of executing team for its effort to involve all the stakeholders and developing local capacities.

I would also like to thank the members of Inter Agency Group Madhubani for its enthusiasm in taking forward the development of Plan and establishing local coordination mechanisms. From District Disaster Management Authority, I would like to thank Mr. A.K. Gupta – ADM Revenue and In-Charge – Disaster Management, Mr. Raman Prasad Clerk Disaster Management and other staff of DDMA for all the effort and time that they have constantly extended for the development of this Plan.

Finally, I must place on record my gratitude and appreciation to all the individuals of various stakeholders group who have participated in various consultations and discussions and have given their inputs, comments and feedbacks as this Plan would not have haven possible without your ideas and knowledge and experience sharing. I anticipate that this Plan developed through you would be widely implemented by you all.

I sincerely hope that the DDMP for Madhubani would be widely implemented and constantly revised by all the stakeholders collaboratively and contribute in achieving a disaster resilient Madhubani.

Madhubani — Lokesh Kumar

June 2013 — District Magistrate cum Chairman-DDMA, Madhubani

योजना तैयार होने की तिथि	:	अप्रैल, 2013
अगली समीक्षा और अ़द्यःतन की जाने की तिथि	:	अप्रैल, 2014
डाटाबेस अ़द्यःतन करने का समय	:	प्रत्येक अप्रैल एवं अक्तूबर माह में (हर 6 माह पर)
पूर्वाभ्यास (मॉकड्रील) का समय	:	प्रत्येक साल के मई माह में (मानसून पूर्व)

इस योजना को कैसे प्रयोग करें

कार्य	संदर्भ	टिप्पणी
1. स्वंय को जाने	परिवार	
	ग्राम पंचायत समिति	
	लाइन डिपार्टमेंट	
	अन्य हितधारक	
2. अपने खतरे को जाने {खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता विश्लेषण}	खंड–1 भाग–1 संदर्भ विश्लेषण {एचभीसीए}	इसे पढ़े ताकि जिले के आपदा संदर्भ को समझ सके
3. अन्य हितधारियों को चिन्हित करे/जाने	खंड–1 भाग–1 {हितधारी विश्लेषण}	इसे पढ़े ताकि जिले के हितधारकों को समझ सके
4. अपनी विशिष्ट योजना के मुताबिक कार्य करें	डीडीएमए के कार्य खंड–1 और 2	जिला प्रत्युत्तर योजना {डीडीएमए–हरी किताब} खंड–1 भाग–2
		जिला प्रत्युत्तर योजना {डीडीएमए–लाल किताब} खंड–2
	ग्राम पंचायत समिति, लाइन डिपार्टमेंट, अन्य हितधारी {सभी के लिए अलग–अलग पॉकेट बुक}	हरी किताब {सामान्य समय में हितधारियों के कार्य}
		लाल किताब {आपदा के समय में हितधारियों के कार्य}
5. योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न संस्थानों एवं अच्छें व्यवहारों/उदाहरणों को जानें	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़ें ताकि जिले की विभिन्न संस्थानों यथा ईएसएफ, आइआरएस, युआरएस, डीएमटी/क्युआरटी और अच्छे व्यवहारों/उदाहरणों को जान सकें
6. राज्यीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध/संपर्क जाने	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़े ताकि आपदा की गंभीरता के स्तरों के अनुरूप संपर्क कर सकें
7. Know legal & financial provisions for implementation of plan	खंड–1, भाग–3	इसे पढ़े ताकि योजना के कार्यान्वयन और इनके अनुवर्ती कार्यो समझ सके
8. जांच सूची,आकलन प्रपत्रा, संसाधानों के आकड़े/विवरण जानें	खंड–3 जॉच सूची, प्रपत्रा एवं संसाधन आंकड़ें	इसे देखें ताकि जिले की संसाधन उपलब्धता समझ सकें और विभिन्न प्रपत्रा, आंकड़े, जांचसूची कर सकें

मधुबनी आपदा प्रबंधन योजना को निम्नलिखित 4 मुख्य खंडों में बांटा गया है:

1. **खंड–1: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन योजना:** इस खंड में (हरी किताब के रूप में भी उल्लिखित) में आपदा की स्थिति नहीं रहने के हालात में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की योजनाएं शामिल की गई हैं। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना; क्षमता सृजित करना; कार्यात्मक निरंतरता की कार्रवाइयां; और आपातस्थिति की तैयारियां शामिल हैं। इसमें विभिन्न संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक तथा संकट शमन के उपाय एवं रणनीतियां भी शामिल हैं।

   इस खंड में मधुबनी से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया गया है। इसमें मधुबनी की सामान्य स्थिति; आपदा संकट; संवेदनशीलता एवं क्षमता का विश्लेषण; समस्या का विश्लेषण; गांवों की संवेदनशीलता का सूक्ष्म विश्लेषण; मधुबनी आपदा प्रबंधन योजना विकास की रणनीति और हितधारी विश्लेषण बताया गया है। अगर आप जिले के लिए नये हैं और जिले की सामान्य स्थिति, इतिहास, और संदर्भ के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह विशेष खंड आपके लिए विशेष तौर पर उपयोगी है।

   इसमें जिला स्तर के विभिन्न संस्थाओं और आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका/उत्तरदायित्व के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इसमें विभिन्न हितधारियों के बीच समन्वय एवं एकीकरण के लिए इएसएफ, आइआरएस, यूआरएस, डीएमटी और क्यूआरटी आदि जैसे बेहतर तरीकों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। आपदा के स्तर और आने वाली जरूरतों के अनुरूप दूसरे जिलों, प्रमंडलों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संयोजन का विवरण इस खंड में दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन; उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही; वित्तीय प्रावधान; और अनुवतध कार्रवाइयों का विवरण भी इस खंड में है।

2. **खंड–2: जिला आपदा प्रत्युत्तर योजना:** इस खंड में (लाल किताब के रूप में भी उल्लिखित) किसी आपदा की स्थिति में जिला स्तर पर की जाने वाली कार्रवाइयां सन्निहित हैं। बचाव की मुख्य कार्रवाइयों को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्व चेतावनी मिलने पर की गई कार्रवाइयां; बचाव कार्य शुरू करना; राहत एवं बचाव; बचाव कार्य बंद करना; और पुनःप्राप्ति की कार्रवाइयां। इसमें विशेष आपदाओं से उबरने के लिए विशिष्ट आपात कार्रवाइयां और फील्ड इओसी का गठन भी शामिल है।

3. **खंड–3: चेकलिस्ट, प्रारूप और संसाधनों का विवरण {डाटाबेस}:** इस खंड में जिले में उपलब्ध संसाधनों तथा संपर्क सूची, उपयोगी चेकलिस्ट, आकलन प्रारूप आदि को अलग से संकलित किया गया है। जब कभी जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. **खंड–4: विभिन्न हितधारियों के लिए विशिष्ट कार्ययोजना:** इस खंड में उपरोक्त मुख्य खंडों के अलावा विभिन्न स्तरों के अलग–अलग हितधारियों के लिए तैयार विशिष्ट कार्ययोजना शामिल है। इसमें 27 लाइन डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत स्तर की 13 कमेटियों और जिला स्तर के अन्य गैर सरकारी हितधारियों के लिए विशिष्ट कार्ययोजना है। प्रत्येक हितधारी समूह के लिए इन कार्य–योजनाओं को दो अलग–अलग पुस्तिकाओं में संकलित किया गया है। ये पुस्तिकाएं हैं ;1) लाल किताब {रिड बुक}: आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए तथा; 2) हरी किताब {ग्रीन बुक}: आपात स्थिति नहीं रहने पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन की कार्रवाइयों के लिए।

अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थः—

BRGF	Backward Regions Grant Fund	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
CBO	Community Based Organizations	सामुदायिक संगठन
CE	Chief Engineer	मुख्य अभियंता
CEO	Chief Executive Officer	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
CMO	Chief Medical Officer	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
CMRF	Chief Minister Relief Fund	मुख्य मंत्री राहत कोष
CSO	Civil Society Organization	नागर संस्था
DDMA	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DDRF	District Disaster Response Force	जिला आपदा प्रत्युत्तर बल
DM	District Magistrate	जिला समाहर्ता
DMT	Disaster Management Team	आपदा प्रबंधन दल
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
EOC	Emergency Operation Center	आपातकालीन परिचालन केन्द्र
ESF	Essential Service Functions	आवश्यक सेवा कार्य
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
FRT	First Response Team	प्रथम प्रत्युत्तर टीम
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
GPS	Global Position System	स्थिति निर्धारण वैश्विक प्रणाली
HFA	Hyogo Framework for Action	ह्योगो कार्रवाई निर्णय
HRVCA	Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, जोखिम, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
HVCA	Hazard Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
IAF	Indian Armed Force	भारतीय सशस्त्र बल
IAG	Inter-Agency Group	इन्टर एजेंसी ग्रुप
IAP	Immediate Action Plan	तात्कालिन कार्य योजना
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवायें
IMT	Incident Management Teams	घटना (आपदा) प्रबंधन टीम
IRS	Incident Response System	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर प्रणाली
IRT	Incident Response Team	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर टीम

IYA	Indira Awas Yojna	इंदिरा आवास योजना
LSG	Lower Selection Grade	निम्न प्रवर कोटि
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
MLA	Member of Legislative Assembly	विधान सभा सदस्य
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural and Education Guarantee Action	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MP	Member of Parliament	संसद सदस्य
MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
NCC	National Cadet Corps	राष्ट्रीय छात्र सेना
NDMA	National Disaster Management Plan	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF	National Disaster Response Force/ Relief Fund	राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
NGOs	Non- Government Organizations	गैर–सरकारी संगठन
NREGA	National Rural Employment Guarantee Act	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
NREGS	National Rural Employment Guarantee Scheme	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
NRHM	National Rural Health Mission	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NSV	National Service Volunteer	राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवक
NYK	Nehru Yuva Kendra	नेहरू युवा केन्द्र
OEOC	Onsite Emergency Operational Center	क्षेत्रीय घटना स्थल आपातकालीन परिचालन केन्द्र
PDS	Public Distribution Shop	जनवितरण दूकानें
PHC	Primary Health Center	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMRF	Prime Minister Relief Fund	प्रधानमंत्री राहत कोष
Q&A	Quality and Accountability	गुणवत्ता एवं जवाबदारी
QRT	Quick Response Team	त्वरित प्रत्युत्तर टीम
SDMA	State Disaster Management Plan	राज्य आपदा प्रबंधन योजना
SDRF	State Disaster Response Force/ Relief Fund	राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
SHG	Self Help Group	लघु एवं मध्यम उद्योग/ उपक्रम
SME	Small and Medium Enterprise	लघु एवं मध्यम उद्योग/ उपक्रम
SOP	Standard Operating Procedure	मानक परिचालन पद्धति
SP	Superintendent of Police	पुलिस अधीक्षक

SSA	Sarva Shiksha Abhiyan	सर्व शिक्षा अभियान
UN	United Nations	सयुक्त राष्ट्र
URS	Unified Response Strategy	एकीकृत प्रत्युत्तर रणनीति
VKC	Village Knowledge Center	ग्राम ज्ञान केन्द्र
WASH	Water Sanitation and Hygiene	जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

परिचय:

पिछले एक दसक से आपदा प्रबंधन भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा शाखा के रूप में उभर कर आया है। आपदा की आवृति एवं गम्भीरता दिनानुदिन बढ़ रही है। इसकी जद में आनें वालों की संख्या बढ़ रही है। अतः आपदा प्रबंधन के शिक्षण में व्यवस्थित ध्यान एवं नियोजित दृष्टिकोण डालने की जरूरत है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर विस्तृत आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने पर जोर देता है। जिला स्तर पर विकसित योजना की जरूरत इसलिए भी आवश्यक है कि यहीं से नीतियों एवं रणनीतियों का कार्यान्वयन होता है।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर ये योजना बनाने के अनेकों प्रयास चल रहे है। एक सुसगंत मानक ढ़ाचा एवं प्रक्रिया निर्देशिका के अभाव के वावजूद, उन योजनाओं के आधर पर आपदा के दौरान प्रत्यक्ष कार्य करने के साथ– साथ अनुभव हासिल करने के लिए वे योजनाऐं लाभदायी हुयी है। उन योजनाओं में बहुत सी विभिन्नतायें है। इनके विश्लेषण से दीखता है कि सभी में कुछ न कुछ अति महत्वपूर्ण बातें है। इनमें जिले के विभिन्न विषयों की सुसग्रहित जानकारिया एक जगह मिल जाती हैं जो देश के आपदा प्रबंधन के लिए ज्ञान का मूल्यवान स्रोत है। हाँ,वे योजनायें मुख्य रूप से सूचना एवं ज्ञान का भंडार है लेकिन हितधारकों के कार्य,जिम्मेदारी एवं जवाबदारी विषयों पर चर्चा बहुत हीं कम है। उन योजनायों के निर्माण में हितधारकों की भागीदारी कम रहीं हैं। अतः योजना के विषय में इनकी जागरूकता कम रही है। वे योजनायें प्रशासनिक दस्तावेज बन कर रह गये और आपदा पूर्व तथा आपदा पश्चात गतिविधियों के लिए शायद हीं काम आये।

पिछले गयी वर्षों में आपदा प्रबंधन का मुद्दा वैश्यविक स्तर से तृणमूल स्तर तक ले जाने की महत्वपूर्ण समक्ष विकसित हुयी है। हृयुगो फ्रेमवर्क फोर एक्शन तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के निर्माण के बाद आपदा प्रबंधन की दुनिया राहत पहुंचाने के दृष्टिकोण की प्रतिक्रया वाली से बदल कर सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संसार में पहुंच गयी है।

वर्तमान वाली योजनाओं से प्राप्त ज्ञान और आपदा प्रबंधन विषय संबंधी उभरती समक्ष के आईने में तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह सुअवसर प्राप्त है कि वह मानक प्रक्रिया के अनुपालन के साथ एक आदर्श योजना निर्माण करें जो देश के अन्य भागों में भी काम आ सकें।

एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए के सयुक्त सहयोग से स्फेयर इंडिया तथा देश के अनेक नेश्नल कोआलिशन ऑफ ह्युमेनटरियन एजेंसिज सहित इनकी सदस्य संस्थाओं यथा टियर फन्ड और इफिकोर ने पहल कर के कुछ आदर्श योजनायें बनाने की शुरूआत की। मधुबनी जिले को इस हेतु सर्वप्रथम चुना गया। इस कार्य में की गयी प्रक्रिया एवं उनकी अवधियों के विवरण निम्नलिखित है।

प्रक्रिया अवधि

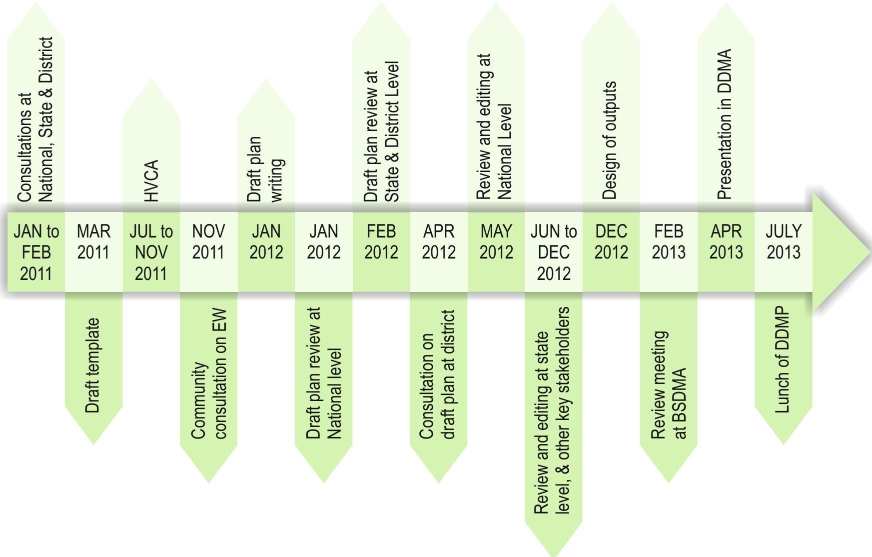

योजना के उद्देश्य

दृष्टिः— आपदा एवं गैर आपदा वाली सामान्य स्थितियों में भी नागरिकों को जीवन एवं उनकी गरिमा के लिए आवश्यक सहायता सेवा निरंतर मिलती रहे इसी दृष्टि से मधुबनी जिले को सक्षम बनाने के लिए आपदा सहने लायक विकास योजना बनाना है।

इस योजना के निर्माण के निम्न मुख्य उद्देश्य हैः—

1. आपदा प्रबंधन के आईने में मधुबनी जिले की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करना

2. पूर्व की आपदा एवं वर्तमान खतरों के आलोक में वर्तमान विकास कार्यओं आने वाली

योजना के सिद्धांत

चुकि योजना निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया होती है अतः योजना निर्माणकर्त्ता तथा अधिकारीगण कृपया योजना के कार्यन्वयन तथा भावी सुधारों के वक्त निम्न लिखित सिद्धातों को अपनायेगें

1. **व्यापकः**— आपदा के प्रसंगाधीन सभी तरह के प्रभाव, सभी हितधारक सहित सभी काल या चरणों के आलोक में

2. **विकासात्मकः**— आपदा झेलने की क्षमता वाला समुदाय निर्माण हेतु भावी आपदाओं का अनुमान करना, उनके लिए निवारक पूर्व तैयारी का कार्य होना

3. **जोखिमः**— खतरे की पहचान, जोखिम एवं प्रभाव विश्लेषण जैसे ठोस जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से प्राथमिकतायें एवं संसाधन तय करना

4. **समेकितः**— सरकार एवं अन्य हितधारकों के सभी स्तरों पर सभी प्रयासों की उपयोगता सुनिश्चित करना।

5. **सहयोगीः**— सभी हितधारकों द्वारा किये गये कार्यों की उपयोगता के सम्मिलन के लिए और व्यक्ति तथा एजेंसियों के बीच प्रभावी सम्बध बनाना हेतु साझा मंच विकसित करना।

6. **लचीलाः**— आपदा की चुनौतियों के समाधान के लिए रचनात्मक एवं नवाचारी तरीका अपनाना

7. **पेशेवरः**— शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, सार्वजनिक नेतश्त्व, नैतिक आचरण जबावदेही और निरंतर सुधार आदि मूल्यों पर आधारित ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टि कोण को महत्व देना।

समस्याओं का विश्लेषण करना और सम्पर्क सूत्र ढूढ़ना

3. विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खतरों के आईने में सवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करना

4. जोखिम में कमी लाने हेतु विभिन्न हितधारकों के लिए कार्य योजना विकसित करना तथा उनके जोखिम को जानना।

5. आपदा प्रबंधन योजना के विकास में हितधारकों की प्रत्यक्ष भागीदारी करा कर उन्हें योजना के प्रति जागरूक करना तदनन्तर योजना के नियमित अपडेट करने हेतु प्रक्रिया निर्माण करना।

6. जिला स्तर के सांस्थानिक तंत्र में नवाचार एवं अच्छे उदाहरणों को शामिल कराना तथा सभी स्तर पर एक समेकित एवं समन्वित योजना बनाना।

7. समुदाय,सरकार के लाइन डिपार्टमेंट एवं अन्य हितधारकों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपात्कालीन प्रत्युत्तर एवं पुर्नस्थापन (रिकवरी) की कार्य योजना विकसित करना।

8. जिलें की चिन्हित जोखिमों के शमन के लिए विविध हितधारकों वास्ते शमन उपाय सुझाना।

योजना किनके लिए

इस आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण, कार्यान्वयन तथा इनमें नियमित सुधार का अधिकार और जबावदेही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी को है। हालांकि जिला इन्टर एजेंसी ग्रुप, मधुबनी के माध्यम से सभी हितधारक समूहों ने निर्माण प्रक्रिया में भाग लिया है। इन हितधारकों की भूमिका एवं जबावदारियों के विषय में योजना के अन्य खंडों में विस्तश्त रूप से बतायी गयी है।

डीडीएमए, इओसी, डीडीएमसी तथा लाईन डिपाटमेंट जैसे मुख्य विभागों द्वारा इस योजना का विकास किया जाना है। इस योजना में ग्राम पंचायत समितियों सहित गैर सरकारी हितधारकों के लिए भी विशिष्ट कार्य योजनायें दी गयी है।

1. मधुबनी संदर्भ विश्लेषण

मधुबनी सदर्भ विश्लेषण

1. सामान्य सूचना

नेपाल की सीमा से सटा मधुबनी जिला बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। वर्ष 1972 ई में राज्य के जिलों के पुनर्गठन में दरभंगा जिला के अंश को काट कर मधुबनी जिला बनाया गया था।

1.1. राजनीतिक / प्रशासनिक

मधुबनी जिला 250– 59श से 260– 39श देशांतर पूर्व तथा 850– 43श से 860– 42श अक्षांश उत्तर 3501 वर्ग कि0 मी0 में फैला जिला है। यहं समुद्र तल से 80 मीटर उँचा है।

मधुबनी प्रशासनिक रूप से 5 अनुमंडल, 21 प्रखंड और 399 ग्राम पंचायतों में विभक्त है। मधुबनी शहर इसका मुख्यालय है।

जिले में किसी सम्भावित आपदा के शमन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कतिपय आपदा जोखिम न्यूनीकरण;डीआरआर) उपाय किये जा रहे है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ;डीडीएमए मधुबनी) का गठन डीआरआर तथा प्रभावी प्रत्युत्तर कार्य के लिए कर दिया गया है। यह जिला देश के सर्वाधिक पिछड़ों में एक है;पंचायत राज मंत्रालय, 2006)। समस्त जिला भूकम्प क्षेत्र ;जोन)–5 में है तथा विभिन्न आपदा यथा बाढ़, अग्निकांड, सूखा आदि अन्य समस्याओं से प्रभावित होता रहता है।

प्रभावी आपदा योजना निर्माण करने के लिए खतरों के सुक्ष्म क्षेत्रियकरण ;माइक्रो हेजार्ड जोनेश्न) जैसा एक कदम लिया जा सकता है लेकिन यह सीमित संसाधन एवं संरचना के अभाव में बहुत चुनौती पूर्ण है।

1.2. आर्थिक

- **कृषि**: कृषि प्रधान इस जिले में आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि एवं कृषि– उत्पाद है। धान एवं गन्ना के अतिरिक्त अन्य अनाज, दलहन और सब्जियां आदि फसलें कुल 218381 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाही जाती है।
- **जिले की कृषि सामान्यत**: वर्षा आधारित है। पोखरा, बोरिग एवं आर्टिजन कुओं आदि से भी कृत्रिम सिंचाई की जाती है। जहां पानी की कमी है, पंचायत स्तरों पर कृत्रिम सिंचाई क्षमता बढ़ाने की अपार संभावना है।

  जिले में मुख्य 3 नहरे है–;1)पश्चिमी कोशी नहर, ;2) कमला सिंचाई नहर तथा ;3) पुराना किन्स कैनल। हालांकि इन सभी की पूर्ण क्षमता के उपयोग के लिए उनके उचित रखराव की आवश्यकता है।

  चुंकि जिले की खेती सामान्यत: वर्षा आधारित है अत: वर्षा न होने के स्थिति में खास कर जाड़े के तिुं में अक्सर फसल मारी जाती है। जिले में बाढ़ एक आवर्ती प्रक्रिया है।इसमें भी फसल की बड़ी क्षति होती है।

- **उद्योग**: जिले मे उद्योग धंधा विकसित नहीं है। कभी यहां अनेकों चावल मिले थी। आरा मशीनें थी, 19वी शताब्दी के अंत तक नेपाल के साथ व्यापक वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में यह जिला विख्यात था। कपास, रेशम, सुपारी, एवं तम्बाकू सहित मछली, हथकरघा के कपड़े, आम गन्ना एवं ताम्बे के बर्तन का निर्यात होता था। मधुबनी जिला उद्योग केन्द्र में वर्तमान में करीब 3000 उद्योग धंधे निबंधित है।

  जो कुछ उद्योग धंघे है वे यहां के भूमिहीन एवं सीमांत किसानों को अतिरिक्त आजीविका स्रोत मुहैया कराते है।

  संरचनात्मक अभाव जिला के औद्योगिक विकास में एक प्रमुख बाधा है। शहरीकरण की गति मात्र 3.65 प्रतिशत है। जिले के विकास के समग्र सूचकांक पटना जिले के सूचकांक 224.53 की अपेक्षा मात्र 96.8 है ;मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान 2008–2009, नाबार्ड)।

- **सेवाएं**: कृषि और उद्योग के अतिरिक्त जिले के आर्थिक विकास सहित यहां के अनेक परिवारों के लिए आय के प्राथमिक साधन के रूप में चित्रकला ;मिथिला पेंटिग) मछली पालन एवं कताई–बुनाई आदि सेवा क्षेत्र है। हस्तकला के रूप में सिक्की मौनी के काम होते है। स्थानीय लोग इससे आभूषण– बक्सें, गुड़िया एपं अन्य उपयोगी सामान बनाते है। इन पारंपरिक कलाओं में बांस के सामान बनाना भी शामिल है। अनाज भंडारण में बांस के सामान उपयोग किये जाते है।

  मधुबनी पेंटिग ;मिथिला पेंटिग) अपनी खाश बनावट एवं डिजाईन के लिए जाना जाता है। स्थानीय उपलब्ध वनोपज से प्राकृतिक रंग लेकर कपड़े एवं कागज के कैनवास पर मधुबनी पेंटिग की जाती है। आमतौर पर महिलायें इसे बनाती है। कालान्तर में कुछ महिलायें मधुबनी पेंटिग कागज एवं कपड़ो से निकाल कर भित्ति चित्रों में ले गयी है।

  मधुबनी पेंटिग बहुत हीं लोकप्रिय है और इसकी भारी मांग भी है लेकिन प्रशासन की ओर से इस दिशा में इसे पर्याप्त सहायता नहीं मिली है वरन् इसकी मान्यता भी धीरे–धीरे घटने लगी है।

1.3. सामाजिक

- **जनसांख्यिकी**: 1991–2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 3,575,281 है। पुरूषों की आबादी 1,840,997 तथा महिलाओं की 1,734,284 है। जनसंख्या वृद्धिदर 26.08 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 3,450,736 तथा शहरी आबादी मात्र 124,545 है। अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी कुल आबादी का 13.48 प्रतिशत है। जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और यह देश के 640 जिलों में मधुबनी 37वे स्थान पर है।

- **शिक्षा**: जिले के साक्षरता दर मात्र 41.97 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर मात्र 26.54 और पुरूष साक्षरता दर 56.79 प्रतिशत है। जिले में कुल 901 प्राथमिक विद्यालय, 382 माध्यमिक विद्यालय, 119 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 27 महाविद्यालयें है।

1.4 तकनीकी

यह जिला बिहार के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में एक है। पंचायत राज्य मंत्रालय में वर्ष 2006 में

मधुबनी जिलें को भारत के सर्वाधिक पिछड़े जिलों की सूची में रखा है। इस जिले में तकनीकी उन्नति या विकास नगण्य है।

जिले में भूमि उपयोग पारंपरिक कृषि पद्धति पर आधारित है।जोत का औसत आकार छोटा और खंडित होने एवं किसानों की गरीबी के कारण कृषि क्षेत्र में तकनीकी पद्धति का उपयोग कठिन होता है।

1.5. भौतिक

जिले की मिट्टी चूनेदार है। मिट्टी और रेत का मिश्रण अलग– अलग अनुपत में है। जिले के अधिकांश हिस्से में जल सोखने वाली मटियारी मिट्टी है। ऐसी मिट्टी धान की खेती के लिए अनुकुल है। बागमती, कमला, करेह, बलान और तिलयुगा जैसी अनेक नदियाँ जिले में धान उत्पादन के लिए अनुकुल परिस्थिति बनाती है।

1.6. जलवायु

यहाँ तीन मुख्य मौसम है– सुहावना शीत ऋतु, सूखा गर्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत तिुं नम्बर से फरबरी तक रहती है। वैसे मार्च तक ठंडे का मौसम टिकना है। फिर पछुवा धूल भरी हवा बहती है और ताप क्रम 420 सेन्टीग्रेट तक पहुंच जाता है। मध्य जून तक आते आते वारिश प्रारंभ होती है और तापक्रम धटने एवं आद्रता बढ़ने लगती है। वारिश सितम्बर तक और कभी कभी मध्य अक्टुबर तक जारी रहती है। इन महिनों में गरमी कम होती है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1273.2 मि0लि0 है।

जिले की जलवायु कुल मिलाकर स्वास्थ्यवर्द्धक है। मानसून की वारिश अकसर जिले में खड़ी फसल को बर्बाद करती है। लू एवं ठंड की लहरें गरीबों प्रभाबित करती है। अतः इन लहरों के कुप्रभावों एवं अन्य मौसमी खतरों के शमन जिले की चुनौती है।

खतरा, सम्वेदनशीलता, क्षमता विश्लेषण (एच भी सी ए)

2.1 खतरा विश्लेषण:

यह जिला अपने विशेष भौगोलिक एवं जलवायु जनिक कारणें से बाढ़,सूखा भूकम्प, अग्निकांड, लू एवं शीत लहर तथा तूफान आदि आवर्तक घटनाओं से प्रभावित होता रहा है। इन घटनाओं के कारण यह जिला पारंपरिक रूप से आपदा के प्रति संवदेनशील भी रहा है।

जिले के अधिकांश हिस्सें की जमीन गहरी है। मानसून के मौसम में नदियाँ अक्सर उछलती है और बाढ़े लाती है। कमला, करेह, बलान गेहुमा, सुपेन, त्रिशूला, जीवछ, कोशी एवं अधवारा समूह की कुल 18 बड़ी नदियाँ और फिर इनकी सहायक नदियाँ इस जिले में से होकर बहती हैं। अधिकतर नदियाँ मौसमी है और वारिश के महिनों में भरी होती है। अनेक नदियों पर तटबंध बने है। मरम्मति एवं उचित रखरखाव जैसी लापरवाही से अक्सर तटबंध टूटते है जिस कारण जिले में बाढ़ आया करती है।

नीचे खतरों और जोखिम रैंकिंग की सूची है –

टेबुल 2.1:– मधुबनी जिले के खतरा/जोखिम आंकलन

खतरा	लक्षण	किन्हें/क्या जोखिम	घटना की संभावना दर	स्वेदन शीलता दर	रैंकिंग; संभावना दर X संवेदनशीलता दर)
बाढ़	जिले में 18 नदियाँ एवं इनकी सहायक नदियाँ प्रायः प्रति वर्ष बाढ़ लाती है। तटबंध के भीतर/समीप के गांवों के कच्चे घर ज्यादा संवेदनशील हैं।	फसल, परिवन, घर, निर्माण कार्य, पेयजल, पशुधन, सिंचाई उपकरण, शिक्षण संस्थान, आदि चीजें अधिक संवेदनशील	आवृति (3)	उच्च (3)	9
अग्निकांड	मधुबनी के ग्रामीण इलाके में चुल्हे की आग से अक्सर अग्निकांड होता है। बिना किसी निरोधात्मक उपायो के ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, गौइठा एवं पुआल के ज्यादा उपयोग होते है।	मानव जीवन,पशु जीवन,घर एवं सम्पत्ति	आवृति (3)	मध्यम (2)	6
सूखा	नदी / तटबंध से दुर के गांव सूखे से ग्रस्त होते है।	फसल, पेयजल, आजीविका के विकल्प	आवृति (3)	मध्यम (2)	6

खतरा	लक्षण	किन्हें / क्या जोखिम	घटना की संभावना दर	स्वेदन शीलता दर	रैंकिंग; संभावना दर X संवेदनशीलता दर)
भूकम्प	यह जिला भूकम्प जोन –ट में है। अधिकांश घर भूकम्प सहय नहीं है और किसी भूकम्प की घटना में भारी तबाही होगी।	मानव जीवन,पशु जीवन, कच्चा एवं पक्का घर एवं सामुदायिक सम्पत्ति	आवृति (2)	मध्यम (3)	6
सीबीआरएन	जिले में रासायनिक, जैविक, विकिरण एवं न्यूक्लिय आपदा की सम्भावना नगण्य है लेकिन कभी हो तो भारी तबाही होगी क्योकि यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है।	मानव जीवन,पशु जीवन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था	आवृति (1)	उच्च (3)	3
शीतलहर / लू / तूफान / ओलावृष्टि	गरीबों पर प्रभाव डालने वाला यह मौसमी खतरा है। गरीब एवं सीमान्त योग इन मौसमी खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है।	मानव जीवन, पशु जीवन और फसल	आवृति (1)	निम्न (1)	2

संदर्भ – डीएमए 2000 हेजार्ड मिटीगेशन प्लान– विपेज ऑफ ब्रायरक्लिफ मैनोर न्यूयौर्क जुलाई 2007

टेबुल 2.2:– मधुबनी जिले के खतरा मौसम का चित्रण

क्र॰ स॰	खतरा	संभावित महीना											
		जन॰	फर॰	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग॰	सित॰	अक्ट॰	नव॰	दिस॰
1.	बाढ़												
2.	भूकम्प												
3.	सूखा												
4.	अग्निकांड												
5.	तूफान												
6.	शीतलहर												
7.	लू												
8.	ओलावृष्टि												

2.2 संवेदनशीलता विश्लेषण

किसी संभावित आपदा के अनुमान,उसका सामना, उससे बचना तथा उबरने की क्षमता के आदर पर जिले की संवेदनशीलता परिभाषित की गयी है। आंजीविका के सीमित अवसर, प्रति व्यक्ति कम आय, अविकसित संरचना अनियोजित विकास, तीब्र शहरीकरण प्रचलित सामाजिक ढ़ाचे जनसांख्यिकी एवं पर्यावरण क्षरण आदि मधुबनी जिले को अनेक तरह की आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है।

क) आर्थिक संवेदनशीलता

कृषि प्रधान इस जिले की अर्थव्यवस्था कृषि एवं इसकी सहयोगी गतिविधियों पर आधारित है।2001 की जनगनणा अनुसार मधुबनी जिले में जोत भूमि का औसत आकार छोटा एवं खंडित है। यहां के कार्य बल में 28.1 प्रतिशत आबादी सीमांत श्रमीकों की है। मधुबनी जिले की खेती वर्षा आधारित है,अतःयह सूखा तथा बाढ़ के प्रति संवेदनशील है।

जिले में प्रौद्योगिक एवं अन्य सेवाये बहुत विकसित नहीं है जिससे इस जिले का शुमार भारंत के 250 निर्धणतम एवं पिछड़े जिलों में किया गया है। इसी कारण से यहं जिला किसी भी भयंकर स्थिति का सामना करने में सामान्यत अक्षम होता है। ऐसी स्थिति से बचना या फिर उबरना जिले के लिए मुश्किल होता है।आर्थिक असुरक्षा आम तौर पर गरीबी से परिभाषित होता है। अतः यह अति निर्धन जिला वहुत खतरो के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

ख) सामाजिक संवेदनशीलता

जाति, धर्म एवं वंश में विभाजित मधुबनी का सामाजिक ढ़ाचा जिलें के अल्पसंख्यक एवं अन्य गरीबों को और अधिक संवेदनशील बनाता है। 2001 की जनगणना के मुताबिक जिले में 13.48 प्रतिशत अनुसूचित जाति ;दलित और महादलित) और 0.04 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग है। ये समूह विविध योजनाओं के लाभ से अक्सर वंचित होते रहते है। अपनी इस सामाजिक स्थिति के कारण भी यह समूह संवेदनशील होता है।

आबादी का बड़ा घनत्व और उसकी न्यून साक्षरता दर भी इस जिले को ज्यादा जोखिम में डालते है। बड़ी निरक्षरता की वजह के कारण खतरा, जोखिम, पूर्व तैयारी एवं शमन के उपायो आदि का ज्ञान कम लोगों को हीं है। दूसरें पर निर्भर रहने वाले समूह यथा बच्चें एवं महिलाओं को अधिक जोखिम रहता है।

ग) पर्यावरणीय संवदेनशीलता

शहरीकरण बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसर घट रहे है। लोग शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे है। आवादी बढ़ रही है। इन सभी कारणों से जिले में उपलब्ध सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। परिणामतः वनों का नाश हुआ है। अनियोजित विकास एवं अन्य कारकों से जिले में पर्यावरणीय क्षरण बढ़ा है। ऐसे हीं कारणों से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाऐं बढ़ी है।

घ) तकनीकी संवेदनशीलता

जिले में किसी भावी भयंकर घटना के शुरू होने की पूर्व चेतावनी सूचना, पूर्वानुमान, अनुश्रवण आदि विषय पर प्रसार करने के लिए उचित और प्रभावी तकनीक की कमी है। इसके अलावा उपयुक्त प्रौधिगिकी और जानकारी का अभाव भी है ऐसे में जिले के लोगों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और तदनुकुल लोगों के जोखिम भी बढ़ जाते है।

ड) भौतिक संवेदनशीलता

गहरी जमीन में बसे गांव सहित तटबंध के भीतर या समीप के गांवों में जल जमाव बड़ी समस्या है। मिट्टी भी जल संरक्षित करने वाली है। नदियों एवं उनकी सहायक धारा की जाल भी क्षेत्र में बाढ़ लाती रहती है और जल जमाव क्षेत्र भी बनाती है।

जिले के ग्राम पंचायतों को नदी की समीपता की दृष्टि से चार भागों में रखा गया है; पहला– तटबंधों के भीतर ग्राम पंचायत दूसरा– तअबंधों के समीप के ग्राम पंचायत, तीसरा– तटबंधों से दूर के ग्राम पंचायत और चौथा– गहरी जमीन में बसे ग्राम पंचायत । इन ग्राम पंचायतों का विवरण योजना के खंड तीन में टेबूल नम्बर 53 में दिये गये है। इसी खंड में टेबूल नम्बर 54, 55 और 56 पर संवेदनशील तटबंध व अन्य संवेदनशीलताओं के बावत भी जानकारी है।

च) जलवायु संवेदनशीलता

गरीब एवं सीमान्त किसान प्रायः लू, शीतलहर एवं मौसमी बाढ़ आदि जलवायु जनित खतरों से आक्रान्त होते है मानसून की भारी बारिश एवं तटबंधों के टूटने से उपजी बाढ़ न केवल खड़ी फसलों को क्षति पहुंचाती है वरण मानव एवं पशु धन की जाने भी लेती है। जिले में बारिश के अभाव में अक्सर सूखा भी पड़ता है।

छ) ढांचागत संवेदनशीलता

तीव्र शहरीकरण की वर्तमान दौर में भवन एवं अन्य ढ़ाचों के निर्माण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्त्व शामिल नहीं किये जा रहे है। इससे भूकम्प के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है।

झ) गैर–ढांचागत संवेदनशीलता

मधुबनी जिला विभिन्न तरह के खतरों के प्रति अतिसंवेदनशील है। बाढ़, अग्निकांड लू, एवं शीतलहर आदि तो वार्षिक आपदायें है । समुदाय को इन आपदाओं के विषय में जानकारी और अनुभव दोनो है। तीव्र शहरीकरण, अनियोजित विकास, वनों की नाश एवं पर्यावरणीय क्षरण आदि से संभावित आवदाओं की जानकारी उन्हें कम है। जानकारी का यह अभव उन्हें ज्यादा संवेदनशील बना देता है।

2.3 क्षमता विश्लेषण

जिले में अनेक ऐसे संसाधन एवं क्षमतायें है जो इसे आपदा एवं अन्य सामन्य स्थिति के लिए बहुत हीं उपयोगी है। नीचे के सूची में विभिन्न विभाग / एजेंसी के पास उपलब्ध संसाधन / क्षमता के विवरण है –

टेबुल–2.3 विभिन्न विभाग/ एजेंसी के पास उपलब्ध संसाधन/ क्षमता

<table>
<tr><th>क्र॰स॰</th><th>क्षमता/संसाधन</th><th colspan="2">संख्या एवं विवरण</th><th>अतिरिक्त विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>नहर</td><td colspan="2">तीन मुख्य नहरे</td><td>1. पश्चिमी कोशी नहर
2. कमला नहर
3. किंस कैनल</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिजली ग्रिड सवस्टेशन</td><td colspan="2">5</td><td rowspan="2">1. पण्डौल
2. बाबूबरही
3. जयनगर
4. फुलपरास
5. रहिका
उर्जा विभाग के अधिकारियों की संपर्क सूची योजना के खंड 3– "जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल न0 6 में देखा जाय</td></tr>
<tr><td></td><td>पॉवर सवस्टेशन</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">3.</td><td rowspan="6">संचार</td><td colspan="2">बीएसएनएल कार्यालय</td><td>योजना के खंड 3– "जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल न0 7 में देखा जाय।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">टेलिग्राफ/
टेलिफोन</td><td>कार्यालय</td><td>1</td></tr>
<tr><td>एक्सचेंज</td><td>52</td></tr>
<tr><td rowspan="2">अन्य</td><td>मोबाईल</td><td>लगभग सभी परिवार में</td></tr>
<tr><td>इन्टरनेट</td><td>लगभग सभी बाजारों में साइवर कैफे, ब्रॉडबैन्ड भी सीमित मात्रा में उपलब्ध</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>जिला समाहरणालय में इन्टरनेट सुविधा एवं अन्य उपकरणों के साथ एनआइसी कार्यालय स्थित है। इ–गवर्नेंस प्रणाली विकसित की जा रही है।जिला मुख्यालय में व्यापारिक कार्यो के लिए इंटरनेट सुविधायें उपलब्ध है। कुछ शहरों में भी ये सुविधायें है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सड़क सम्पर्क</td><td colspan="2">एनएच 104, 105 एवं 57 के माध्यम से अन्य जिलों को सम्पर्क</td><td>योजना के खंड 3– "जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल न0 25 में देखा जाय
खंड 3 में नक्सा न0 8 भी देखा जाय</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>रेलवे</td><td colspan="2">छोटी एवं बड़ी रेल लाईनों से जिले के सभी मुख्य शहर जुड़े है।</td><td>खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के नक्सा न0 6 देखा जाय</td></tr>
</table>

क्र॰स॰	क्षमता / संसाधन	संख्या एवं विवरण		अतिरिक्त विवरण
6.	रेडियो स्टेशन	दरभंगा में स्थित		दूरभाष संख्या 06272–222581
7.	मानव संसाधन	जिला समाहरणालय कार्यालय में कर्मचारी	1063	खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के देखा जाय जिसमें विभिन्न विभागों के हितधारकों के विवरण विभिन्न टेबुलो में दर्ज है
		कुल पुलिस बल	926	
		कुल विद्युत अभियंता	24	
		कुल स्वास्थ्य कर्मचारी	1330	
		कुल दमकल कर्मचारी	12	
		बचाव एवं राहत कार्य में प्रशिक्षित कुल रक्षावाहिनी	41	
		विद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रशिक्षित एनसीसी कैडेट	799	
8.	समीपस्थ एनडीआरएफ इकाई	पटना में अन्य आगरा (उ.प्र.), कोलकाता (प. बंगाल) और कटक (उड़िसा में)		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 11 देखा जाय
9.	समीपस्थ क्षेत्रीय आई एम डी कार्यालय	भागलपुर, छपड़ा, फारविसगंज, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पुर्णिया में		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े(विवरण)" के टेबुल नम्बर 13 देखा जाय
10.	निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि	सभी ग्राम पंचायत		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 14 देखा जाय
11.	जिला इओसी	सभी आवश्यक उपकरण एवं संसाधनों के साथ जिला मुख्यिालय में कार्यशील		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 26 देखा जाय
12.	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल	2 – आवश्यक स्टाक के साथ		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 28–29 देखा जाय
13.	आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित मानव संसाधन	एनडीआरएफ, रक्षावाहिनी, एनसीसी एनवाईके के लोग तथा अन्य स्वयंसेवक		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 31–32 देखा जाय
14.	प्रखंड में स्थित हेलिपैड	40		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 33 देखा जाय

क्र०स०	क्षमता/संसाधन	संख्या एवं विवरण		अतिरिक्त विवरण
14.	प्रखंड में स्थित हेलिपैड	40		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 33 देखा जाय
15.	जिले में राहत केन्द्र	पेयजल एवं शौचालय सुविधाओं के साथ हर प्रखंड में चिन्हित अनेक राहत केन्द्र		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 34, 35, 36 एवं 37 देखा जाय। इन केन्द्रों की क्षमता एवं उनके प्रभारी पदाधिकारियों का भी वर्णं है
16.	अस्थायी आश्रय स्थल	157 – अलग–अलग प्रखंडों में स्थित		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 38 देखा जाय
17.	स्वैच्छिक संगठन द्वारा निर्मित आश्रय	मधेपुर एवं विस्फी में 16		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 39 देखा जाय
18.	नाव	उपलब्ध – 499 जिसमें कार्यशील केवल 288		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 41, 42 देखा जाय
		निजी नावे – 72		
		सार्वजनिक नावे – 198		
		2010 – 2011 में आवंटित नावे – 143		
		मोटर बोट – 19		
		स्वैच्छिक संगठनों के पास मोटरबोट – 8		
19.	दमकल सेवा	फायर इंजन–3		खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 43 देखा जाय
		वेहिकल पोटेबुल पम्भ –1		
		कर्मचारी –12		
20.	स्वास्थ्य सुविधायें	अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र	57	खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 44, 45 और 46 देखा जाय
		स्वास्थ्य उप केन्द्र	424	
		कुल चिकित्सक	225	
		कुल एएनएम	475	
21.	सिंचाई संसाधन	ट्बेल	223	खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 47 और 49 देखा जाय
		हेन्डपम्प	790	
		पोखरा	5491	
		नदी –उप नदी	53	

क्र॰स॰	क्षमता/संसाधन	संख्या एवं विवरण	अतिरिक्त विवरण
22.	जनवितरण दूकानें	1552	खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 50 देखा जाय
23.	गैरसरकारी संगठन	67 कार्यशील संस्थाये	खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" के टेबुल नम्बर 51 देखा जाय। इंटर एजेंसी ग्रुप जिला स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों का समूह है। वर्तमान में श्री कामेश्वर कामति जी इसके संयोजकत्व हैं।

**कृप्या क्षमता/ संसाधन ऑकड़े(विवरण) के विस्तृत विवरण के लिए खंड 3 –"जॉच सूची, प्रपत्र और संसाधन ऑकड़े (विवरण)" देखें।

समस्या विश्लेषण

3.1 मैक्रो विश्लेषण

जिले में मुख्य रूप से दो बड़ी समस्यायें आती हैं– पहला मानसून के समय में आवर्तक बाढ़ एवं दूसरा ग्रीष्म ऋतुं में सिलसिलेवार अग्निकांड। ये दोनों किस्म की आपदायें जिले में जीवन, संपत्ति एवं कृषि की सबसे ज्यादा क्षति करती हैं। अगर कभी भूकम्प हो जाय तो बहुत बड़ी क्षति होगी।

यहाँ के मुख्य हितधारकों के विचार एवं अनुभव तथा ऐतिहासिक जानकारियों के विश्लेषण से जिले के खतरों के कारण एवं उनसे पड़ने वाले प्रभाव को निम्नलिखित सारणी से समझा जा सकता है।

a) Flood

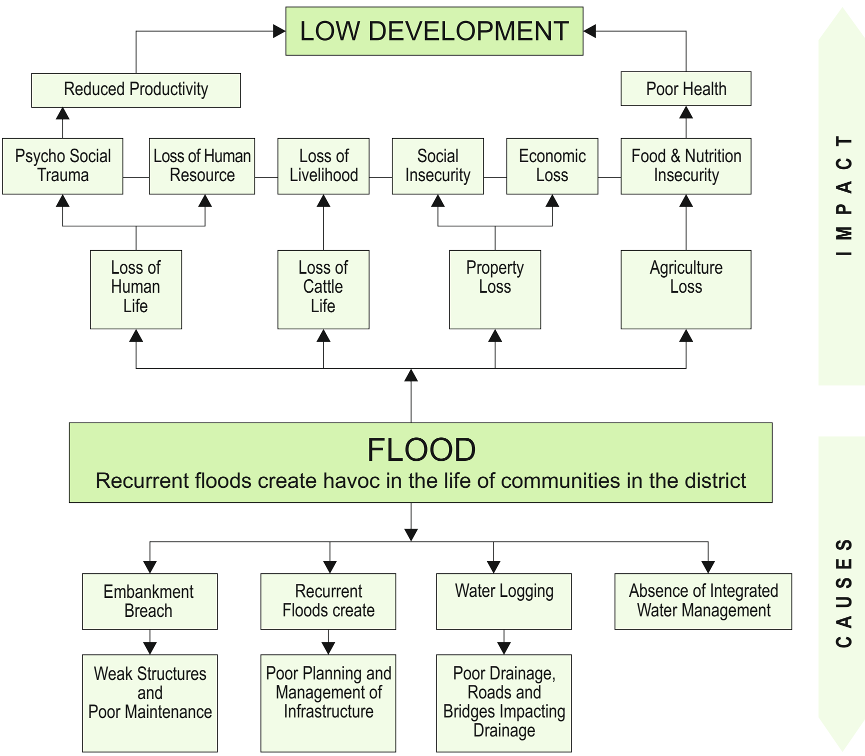

b) Fire

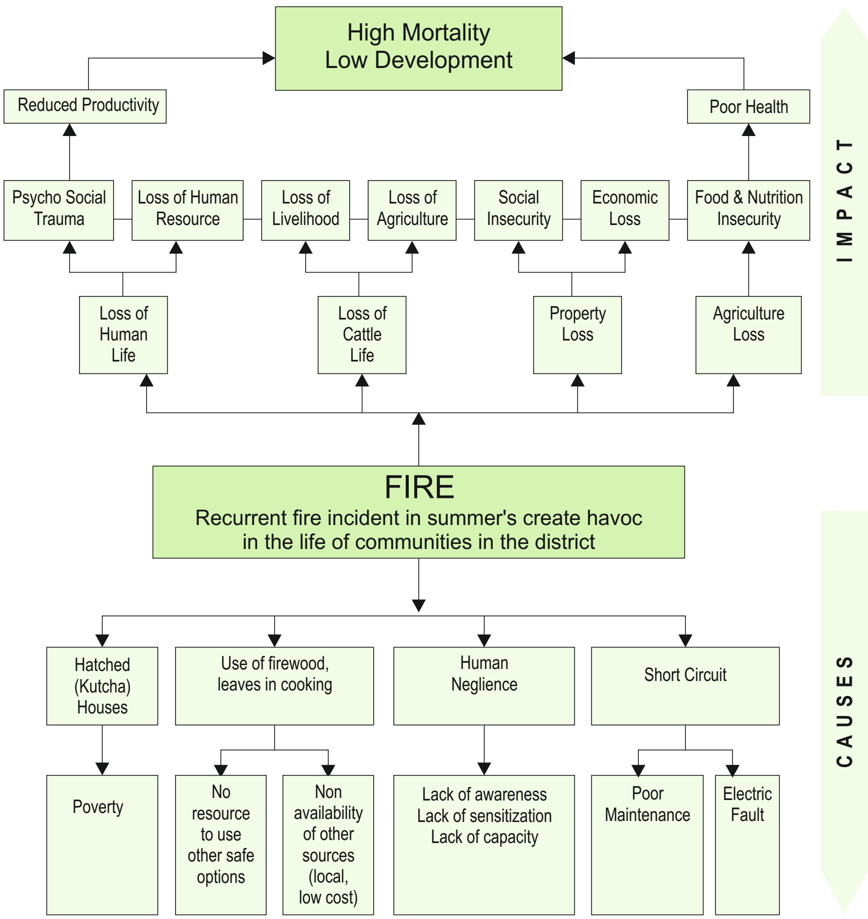
High Mortality
Low Development
Reduced Productivity
Poor Health
Psycho Social Trauma
Loss of Human Resource
Loss of Livelihood
Loss of Agriculture
Social Insecurity
Economic Loss
Food & Nutrition Insecurity
Loss of Human Life
Loss of Cattle Life
Property Loss
Agriculture Loss
IMPACT
FIRE
Recurrent fire incident in summer's create havoc in the life of communities in the district
Hatched (Kutcha) Houses
Use of firewood, leaves in cooking
Human Neglience
Short Circuit
Poverty
No resource to use other safe options
Non availability of other sources (local, low cost)
Lack of awareness
Lack of sensitization
Lack of capacity
Poor Maintenance
Electric Fault
CAUSES

c) Earthquake

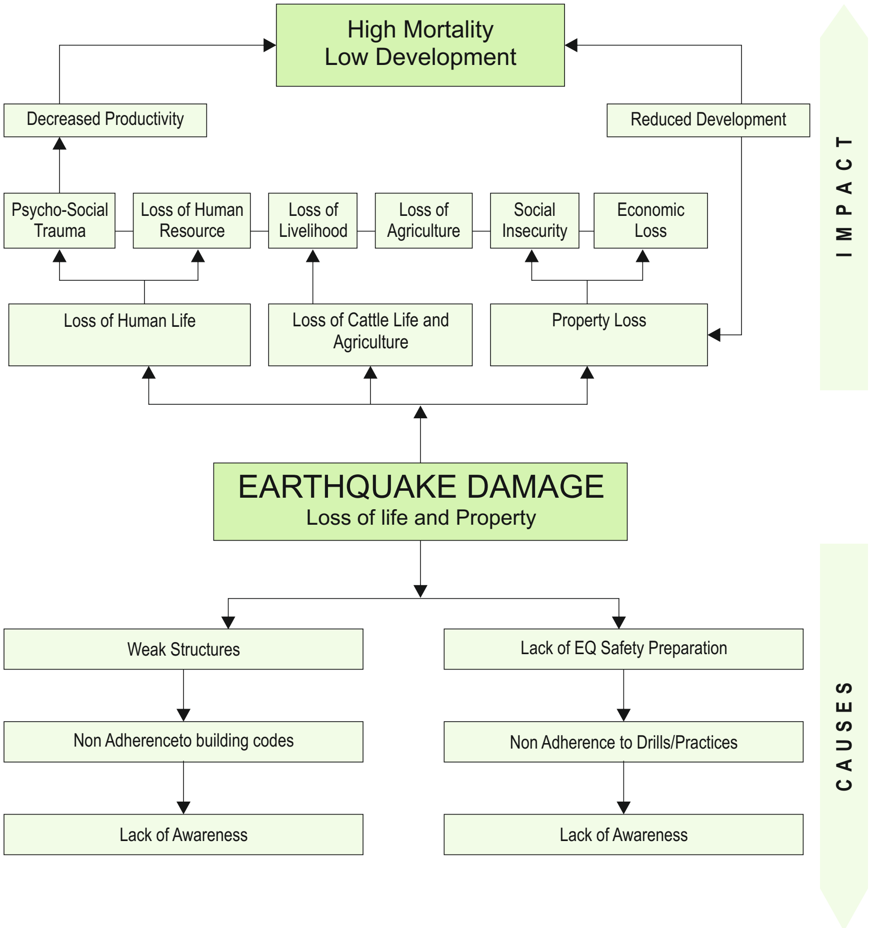

सारणी 3.1 मधुबनी जिले की बाढ़ का इतिहास

प्रभावित	**वर्ष 1999**	**वर्ष 1998**	**वर्ष 1997**	**वर्ष 1987**	**वर्ष 2002**	**वर्ष 2007**	**वर्ष 2011**
प्रभावित प्रखंड	4	17	14	19	19		4
प्रभावित पंचायत	26	150	125	350	301	328	
प्रभावित ग्राम पंचायतों की संख्या	90	371	353	1075			
प्रभावित आबादी	16574	605.842	510178	1944731	16.883 {लाख में}	17.26301 {लाख में}	
प्रभावित कृषि क्षेत्र	8189 हेक्टेयर	17159 हेक्टेयर	30413 हेक्टेयर	100899	171512.27 हेक्टेयर	77074 हेक्टेयर	
अनुमानित फसल क्षति–लाख रूपयें में	10609ण36	106759	332ण85	1000196			
क्षतिग्रस्त मकान	4392	5945	4602	238472	1130.62		
क्षतिग्रस्त मकानों की अनुमानित लागत–लाख रूपयें में	309.17	156.77	150.48	238472000	1708.392	46	
मानव मृत्यु	0	13	16	126	35		
पशुधन मृत्यु	87	27	06	1193			
इस्तेमाल किये गये नावों की संख्या	191 सरकारी	30 निजी	274 सरकारी 19 निजी	516 सरकारी 235 निजी	35		

सारणी:3.2 मधुबनी के भूकम्प का इतिहास

ज्ञात जानकारी में जिले में दो बार भयंकर भूकम्प हुये–

कमांक	**तारीख**	**इपिसेंटर**		**क्षेत्र**	**परिमाण**
		अक्षांश {°उत्तर}	**देशांतर {°पूर्व}**		
1.	15 जनवरी 1934	26.6	86.8	बिहार–नेपाल सीमा	8.3
2.	21 अगस्त 1988	26.7	86.6	बिहार–नेपाल सीमा	6.4

इनके अतिरिक्त पाय: प्रतिवर्ष गर्मी के महीनों में अग्निकांड हुआ करते है और मानव जीवन पशुधन मकान एवं कृषि संपत्ति का नुकसान होता है।

3.2 सुक्ष्म विश्लेषण

मधुबनी जिला 399 ग्राम पंयायतों में विभक्त है। ये ग्राम पंचायतें पुनः और सुक्ष्म होकर गॉव,वार्ड या टोलों में पारंपरिक तरीके से विभक्त है। भूकम्प,लू एवं शीतलहर सभी इन सभी सुक्ष्म इकाईयों में समान रूप से प्रभाव डालता है। अग्निकांड ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अलग–अलग तरह के प्रभाव डालता है हालांकि यह आम तौर पर गर्मी महीनों की ग्रामीण समस्या है।

बाढ़ और सुखा अलग–अलग गॉवों अलग–अलग तरीके से अलग–अलग प्रभाव डालते है,इसीलिए अलग–अलग परिस्थिति के लिये अलग–अलग समाधान की जरूरत है। इन सब बातों का ग्राम पंचायत या गॉव की परिस्थितियों के आलोक में विश्लेषण की जरूरत है। नीचे कुछ संवेदनशील परिस्थितियों का विवरण है–

{क} दो तटबंधों के बीच स्थित ग्राम पंचायत/गॉव

मानसून के महीनों में ये ग्राम पंयायतें/गॉव लगभग पानी में डूबे होते है। यहॉ के लोग 5–6 सप्ताहों के लिए कही किसी अस्थायी आश्रय में या फिर तटबंधों पर ही आकर शरण लेते है।

जल स्तर की वृद्वि के अनुश्रवण तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही धर के ऐसे बाढ़–सह्य डिजाईन विकसित करना चाहिये जो समुदाय द्वारा मान्य हो। जो स्लूइस गेट है उन्हें मजबूत करने चाहियें और उन्हें इस लायक बनाया जाय कि जल निकासी अबाधित रहे। ऊॅचें क्षेत्र में पेयजल संसाधन एवं सामुदायिक आश्रय स्थल पूर्व से विकसित रहना चाहिये।

{ख} तटबंध के समीप के ग्राम पंचायत/गॉव

तटबंध के टूटने की स्थिति में ऐसे अवस्थित गॉवों को पूर्न तरीके से बह जाने का बड़ा जोखिम रहता है। तटबंध के कमजोर होने या उनके खराब रखरखाव तथा नदी के प्रवाह बृध्दि के कारण इन गॉवों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उचित सर्वेक्षण से तटबंधों के कमजोर बिन्दुओं की पहचान कर ली जा सकती है।

तटबंध टूटने की जोखिम को इसके कमजोर बिन्दुओं की मरम्मत से ठीक किया जा सकता है। स्लुइस गेट के निर्माण एवं सुधार से जल के अतिरिक्त प्रवाह के खतरों का शमन किया जा सकता है।मानसून से पूर्व खड़ी पकी फसल काट ली जानी चाहिये।

{ग} तटबंध से दूर के ग्राम पंचायत/गॉव

ऐसे ग्राम पंचायत/गॉव मानसून के न बरसने या कम बरसने से अक्सर सुखे के जोखिम में रहते है। तटबंध टूट कर इन गॉवों तक पानी नही पहुॅचता। यहॉ के पुराने तालाब आदि को भरने के लिए कोई उपाय नही है। समेंकित जल प्रबंधन प्रणाली के अभाव में यहॉ सुखे की स्थिति होती है और फसल का नुकसान होता है।

उन फसलों का विकास करना चाहियें जो कम सिंचाई के वावजूद खाद एवं उन्नत बीज मात्र से ही अधिक उपज दे। वर्षा जल संग्रहन एवं अन्य कृत्रिम सिंचाई पध्दति को विकसित करने की जरूरत है।कम बाष्पीकरण करने वाले पौधे लगाने का अभियान चलाना चाहिये। फसल बीमा चलाना चाहिये ताकि सुखा या फसल क्षति की स्थिति को कम किया जा सके।

{घ} गहरें क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत / गॉव

ऐसे पंचायतों या गॉवों में जल जमाव एक सामान्य स्थिति है। जल जमाव महीनों तक रहता है। सड़कों में पर्याप्त कलभर्ट का अभाव या पुलों की कम चौड़ाइ प्राकृतिक जल बहाव के रास्ते को बाधित करता है जिससे पानी महीनों तक ठहर जाता है जो पूर्व में कुछ ही दिनों में बह जाया करता था।

इन क्षेत्रों में खम्भें पर खड़े नये मकान डिजाइनों को समुदाय की सहायता से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। वर्तमान धरों को बाढ़ सह्य बनाने के लिए सुधारा जाना चाहिये। सरकारी एवं निजी नाव प्रत्येक गॉव में आपातकालीन परिस्थिति के लिए पूर्व से रखा जाना चाहिये। पानी के प्राकृतिक बहाव के रास्ते को बरकरार रखा जाना चाहिये ताकि जलजमाव की स्थिति से बचा जा सके।

डीडीएमपी विकास रणनीति

संदर्भ विश्लेषण, पिछली आपदाओं के अनुभव,राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अच्छे व्यवहार के साथ–साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दृष्टिकोण का वर्तमान परिवर्तन आदि तत्व इस आपदा प्रबंधन योजना की दृष्टि एवं उदेश्य के निर्णय के आधार रहे है। इसके अतिरिक्त समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से आपदा प्रबंधन योजना निर्माण करने के सिध्दांत को ध्यान में रखकर निम्नलिखित रणनितियों के साथ इस आदर्श योजना को बनाने का प्रयास किया गया है–

क} योजना में व्यापकता

योजना के निर्माण में सभी हितधारकों को सभी संभव स्तर पर भागीदारी कराकर, सभी संभावित खतरें एवं आपदा के सभी चरण {पूर्व तैयारी,प्रत्युत्तर,रिकवरी एवं शमन} का शामिल किया गया है।

ख} आवश्यक सेवा {सहायता} कार्य {इएसएफ}

विभिन्न स्तरों पर आवश्यक सेवा कार्यो के रखरखाव एवं निरंतरता के साथ–साथ आपदा जोखिम कम करने हेतु प्रयास के तत्व योजना निर्माण में दृष्टिगत रखा गया है।

ग} सभी हितधारक एवं सभी आवश्यक सेवा कार्यो का एकीकरण एवं समन्वयन

इस योजना में संस्थागत तंत्र, उपकरण सहित सभी हितधारक एवं सभी आवश्यक सेवा कार्यो का एकीकरण एवं समन्वयन के तत्व सभी स्तरों पर शामिल किये गये है।

ध} सर्वाधिक खराब स्थिति की कल्पना एवं इस हेतु आकस्मिक योजना

इस योजना में पूर्व की आपदाओं के अनुभव के आलोक में सर्वाधिक खराब स्थिति की कल्पना कर उसके सावधिक सत्यापन एवं परीक्षण के अनुरूप आकस्मिक योजनायें भी शामिल की गयी है।

ड़} अनुवर्ती कार्य

इस योजना में सभी हितधारक समूह, इएसएफ, स्थानीय स्वंय शासित इकाइ को प्रत्येक स्तर पर उनके खुद की व्यापक योजना बनाने की अनुवर्ती कार्य का सुझाव दिया गया है।

हितधारक विश्लेषण

मधुबनी जिले में समुदाय से लेकर जिला स्तर तक मुख्य हितधारकों की बड़ी संख्या है। ग्राम पंचायत समितियॉं एवं लाइन डिपार्टमेंट के जाने पहचाने हितधारक समूहों के अतिरिक्त अनेक गैर सरकारी ऐसे हितधारक भी है जो आपदा और शांति और दोनो स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। निम्नलिखित तालिका से विभिन्न स्तरों के उन हितधारकों का विवरण मिलता है। बीडीएमपी में प्रत्येक हितधारक समूहों के लिए उनकी अलग–अलग विशिष्ट कार्य योजना वर्णित है जिसे आपातकाल में {लाल किताब में वर्णित} एवं सामान्य समय में {हरी किताब में वर्णित} किया जाना है।

सारणी:5.1 हितधारक समूहों की सूची–

कमांक	स्तर	हितधारक समूह	मन्तव्य
1.	ग्राम पंचायत स्तर	1. ग्राम पंचायत जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कमिटी {वाश कमिटी}	निर्मल भारत अभियान की टीम यह कमिटी बनायेगी
		2. ग्राम पंचायत बाल कमिटी	समेकित बाल विकास परियोजना की टीम यह कमिटी बनायेगी
		3. ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमिटी	
		4. ग्राम पंचायत शिक्षा कमिटी	सर्व शिक्षा अभियान की टीम यह कमिटी बनायेगी
		5. ग्राम पंचायत भोजन एवं पोषणकमिटी	मिडे मील टीम के लोग इस कमिटी में होंगे
		6. ग्राम पंचायत पशुधन कमिटी	
		7. ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कमिटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत बनी टीम इस टीम में होगी
		8. ग्राम पंचायत परिवार कमिटी	
		9. ज्ञान केन्द्र कमिटी	
		10. ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव कमिटी	
		11. ग्राम पंचायत आश्रय टीम	इंदिरा आवास योजना की टीम इस टीम में होंगे
		12. ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा कमिटी	सामाजिक सुरक्षा योजना की टीम इस टीम में होंगे
		13. ग्राम पंचायत वार्ड मेम्बर	

<table>
<tr><th>कमांक</th><th>स्तर</th><th colspan="2">हितधारक समूह</th></tr>
<tr><td rowspan="13">2.</td><td rowspan="13">जिला स्तर {लाइन डिपार्टमेंट}</td><td>1. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग</td><td>14. शहरी विकास विभाग</td></tr>
<tr><td>2. श्रम संसाधन विभाग</td><td>15. जल संसाधन विभाग</td></tr>
<tr><td>3. पंचायत राज विभाग</td><td>16. कृषि विभाग</td></tr>
<tr><td>4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</td><td>17. पशु एवं मत्स्य विभाग</td></tr>
<tr><td>5. योजना एवं विकास विभाग</td><td>18. भारत संचार निगम लिमिटेड</td></tr>
<tr><td>6. पुलिस विभाग</td><td>19. भवन विभाग</td></tr>
<tr><td>7. डाक एवं संचार विभाग</td><td>20. शिक्षा विभाग</td></tr>
<tr><td>8. ग्रामीण विकास विभाग</td><td>21. उर्जा विभाग</td></tr>
<tr><td>9. विज्ञान एवं तकनीकि विभाग</td><td>22. अग्निशमन सेवा {दमकल} विभाग</td></tr>
<tr><td>10. सामाजिक सुरक्षा विभाग</td><td>23. खाद्य निगम विभाग</td></tr>
<tr><td>11. सांख्यिकी विभाग</td><td>24. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोगता विभाग</td></tr>
<tr><td>12. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन</td><td>25. स्वास्थ्य विभाग</td></tr>
<tr><td>13. परिवहन विभाग</td><td>26. उद्यौग विभाग</td></tr>
<tr><td rowspan="13">3.</td><td rowspan="13">अन्य हितधारक समूह</td><td colspan="2">1. शैक्षणिक संस्थायें</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. वास्तुकार,अभियंता,डिप्लोमा धारक और राज मिस्त्री</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. कारीगर शिल्पकार समूह</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. व्यावसायिक समूह {निजी क्षेत्र के कॉरपोरेट,उद्यौग,एसएमई} बाजार एवं बाजार संध</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. दलित एवं आदिवासी संगठन</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. भूतपूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत पेशेवर संध</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. स्वास्थ्य संगठन {मिडिकल संध,केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन, आरभीसी एवं नर्स संगठन}</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. इंटर एजेंसी ग्रुप</td></tr>
<tr><td colspan="2">9. स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय मिडिया</td></tr>
<tr><td colspan="2">10. स्थानीय स्वैच्छिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थायें, रेड क्रॉस, राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थायें</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. स्वंय सहायता समूह,महिलायें एवं किसान संगठन,जीविका समूह</td></tr>
<tr><td colspan="2">12. ट्रांसपोर्टर {रेल,सड़क और नाव}</td></tr>
<tr><td colspan="2">13. युवा संगठन</td></tr>
</table>

2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना (क्षमता निर्माण एवं शमन सहित)

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी

किसी भी आपदा के प्रभावी प्रबंधन/प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर प्रर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण {डीडीएमए} मधुबनी का गठन हुआ। डीडीएमए मधुबनी की संरचना निम्नलिखित हैः—

कमांक	पदाधिकारी	डीडीएमए में पद
1.	जिला समाहर्ता	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष जिला परिषद्	सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी {सीविल सर्जन}	सदस्य
5.	उपविकास आयुक्त	सदस्य
6.	अतिरिक्त जिला मजिस्टेट {प्रभारी,आपदा प्रबंधन}	सदस्य
7.	कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1 झंझारपुर	सदस्य

भाग–1: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी की पूर्व तैयारी एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना

इस हरी किताब के वर्तमान अनुभाग में सामान्य समयों में पूर्व तैयारी एवं शमन उपायों के लिए किये जाने वाले कार्य के साथ–साथ जिले के आपदा सह्य विकास करने की योजना के बाबत वर्णन है। इस खण्ड में विभिन्न संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक तथा खतरा विशिष्ट के शमन की जानकारियॉ दी गयी है।

पूर्व तैयारी के लिए किये जाने वाले मुख्य कार्यो को और विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है यथा {1} डीआरआर को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के कार्य,{2} क्षमता निर्माण के कार्य,{3} कार्य निरंतरता की कार्रवाई और {4} आपातकालीन पूर्व तैयारी के कार्य। इन सभी के विवरण नीचे दिये जा रहे है–

1. डीआरआर को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के कार्य

उद्देश्य:

- विभिन्न विषयों पर सभी हितधारकों के सभी विकास कार्यो में डीआरआर के तत्व को शामिल कराना

मुख्य कार्य:

- सभी हितधारकों की सहभागिता से जिला आपदा प्रबंधन योजना तथा जिला प्रत्युत्तर योजना तैयार करना
- राष्ट्रीय और राज्यीय नीतियॉ एवं राष्ट्रीय,राज्यीय और जिला योजना के बीच समन्वय करना और अनुश्रवण करना
- यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय एवं राज्यीय प्राधिकरण द्वारा आपदा की रोकथाम,आपदा के प्रभाव के शमन,पूर्व तैयारी और प्रत्युत्तर उपायों पर प्रतिपादित दिशा निर्देशों का पालन जिला में सरकार के सभी विभाग एवं स्थानीय अधिकारी कर रहे है।
- आपदा की रोकथाम या फिर इनके प्रभाव के शमन के लिए जिला स्तर और स्थानीय पदाधिकारी को आवश्यकतानुरूप दिशा निर्देश दे।
- जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना
- जिला स्तर के विभिन्न विभागों के द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो में आपदा की रोकथाम या उसके प्रभाव के शमन कार्य के तत्वों का एकीकरण करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश बनाना और इस हेतु उन्हें तकनीकि सहायता देना
- उपर की कंडिका में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना

- पूर्व चेतावनी के लिए तंत्र बानाना,उनका रखरखाव करना,उनकी समीक्षा करना तथा विकसित करना और जनता में सही सूचना प्रसारित करना।
- जिला स्तर की प्रत्युत्तर योजना एवं निर्देशिका निर्माण करना,समीक्षा करना एवं अद्यतन करना।
- सुनिश्चित करना कि जिले में स्थित विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट एवं स्थानीय प्राधिकार जिला प्रत्युत्तर योजना के अनुरूप अपनी प्रत्युत्तर योजना तैयार करे।
- जिले में आपदा या सन्निकट आपदा की परिस्थिति में इसकी रोकथाम या इसके प्रभाव के शमन के कार्य त्वरित एवं प्रभावी ढ़ंग से सुनिश्चित होने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना एवं जरूरी दिशा निर्देश देना।
- जिला स्तर के सरकारी विभागों एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारों की विकास योजना की इस दृष्टि से समीक्षा करना कि उनमें डीआरआर कार्य {आपदा की रोकथाम या उसके प्रभाव का शमन} को शामिल कराने के आवश्यक प्रावधान किया जा सके।
- जिले में हो रहे किसी भी तरह के निर्माण कार्य की जॉच करना और यह पाये जाने पर कि उस विशेष निर्माण कार्य के लिए तय आपदा की रोकथाम या उनके प्रभाव के शमन के लिए धोषित मानकों का अनुपालन नही किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी को यथोचित निर्देश देकर उन मानकों का पालन सुनिश्चित कराना।
- जिले के विभिन्न विभागों के विकास कार्यक्रमों एवं फ्लेगशिप योजनाओं में डीआरआर के तत्व शामिल कराने एवं उसकी महत्ता पर जोर डालने के लिए बार–बार सुनिश्चित अवधि में बैठक बुलाना
- किसी भी विभाग के विकास कार्य से पैदा होने वाले संभावित जोखिमों को पहचानना और विश्लेषण करना
- इस संभावित जोखिमों के समाधान के लिए रणनीति बनाना एवं तदनुसार कार्यक्रम के धटकों के संशोधित करना
- तकनीकी एजेंसियों के परामर्श से आपदा सह्य डिजाइन एवं उत्पाद विकसित करना कि विविध विकास एजेंसियॉ एवं सरकारी लाइन डिपार्टमेंट उनका उपयोग कर सके ।

2. क्षमता निर्माण कार्य–

उद्देश्य:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण,आपात्कालीन प्रत्युत्तर और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग,समुदाय एवं अन्य हितधारकों की भूमिका एवं जबावदेही कार्य को बेहतर करने के लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण करना।

मुख्य कार्य–

- इएसएफ, इओसी सदस्य,डीएमएमसी,क्युआरटी,डीएमटी,एफआरटी इत्यादि के लिए प्रशिक्षण जरूरतों का विश्लेषण करना एवं समय–समय पर प्रशिक्षण देना।

- चिन्हित प्रशिक्षण जरूरतों के लिए योजना बनाना,संसाधन जुटाना एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- आपदा या किसी सन्निकट आपदा की परिस्थिति पर किसी भी विभाग की प्रत्युत्तर क्षमता की समीक्षा करना और संबंधित विभाग या प्राधिकार को उसके उन्नयन के लिए यथा आवश्यक निर्देश देना।
- मौशम के अनुकुल एवं हितधारकों की जरूरत के मुताविक पूर्वाभ्यास {मॉकड्रील} प्रशिक्षण एवं जागरूकता निर्माण कार्य के लिए कैलेण्डर विकसित करना
- जिले के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी,कर्मचारी एवं स्वंयसेवी बचाव कार्यकताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमा चलाना एवं समन्वयन करना
- स्थानीय प्राधिकार और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा की रोकथाम और उसके प्रभाव के शमन के लिए समुदाय में प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा बढ़ाना।
- समुदाय के लिए जागरूकता अभ्यास एवं अभियान चलाना कि संभावित आपदाओं की जानकारी एवं वैसी स्थिति में उनके द्वारा आपदा की क्षति तथा लोगों के कष्ट कम करने की न्यूनतम कार्रवाई करने में समुदाय सक्षम हो
- जिले के स्थानीय प्राधिकारी को डीआरआर कार्य के संपादन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता एवं सुझाव देना
- सुनिश्चित करना कि संचार प्रणाली दुरूस्त रहे और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय पर किया जाता रहे।
- ग्राम पंचायत,प्रखंड,अनुमंडल एवं जिला स्तर पर कुशल मानव शक्ति,तकनीकी एवं पेशेवर लोग,एजेंसियों की सूची, बिक्रेताओ के नाम अस्पताल का रोस्टर रखना। डीडीएमए के स्पष्ट निर्देश के अनुरूप अनुमंडल,प्रखंड तथा ग्राम पंचायत का रोस्टर संबंधित अधिकरी द्वारा रखा जाना।
- इएसएफ,इओसी सदस्य,डीएमएमसी,क्युआरटी, एफआरटी इत्यादि के लिए निश्चित अवधि पर विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पूर्वाभ्यास कार्यक्रम संचालित करना।
- उपरोक्त पूर्वाभ्यास में जिला आपदा प्रबंधन योजना का परीक्षण करना
- पूर्वाभ्यास के दौरान अर्जित किये गये अनुभवों के आलोक में योजना को अद्यतन करना।
- पड़ोसी जिले के अधिकारियों एवं यथोचित राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क बनाना और नेटवर्क कायम करना
- पिछली आपदाओं में किये गये प्रत्युत्तर कार्यो का विश्लेषण कर पता लगाना कि क्या सही हुआ और कौन सा काम और अधिक बेहतर ढ़ंग से किया जा सकता था। इन सभी शिक्षण का वार्षिक रूप से हर आपदा के बाद दस्तावेजीकरण करना। इन चीजों को डीडीएमपी के अद्यतन करने वक्त उपयोग में लाना।

- जिला स्तर पर मानक रूप से आपदा सहायता कार्य करने के लिए न्यूनतम इनभेन्टरी सूची विकसित करना और प्रयास कारना कि अगले कुछ वर्षों में मानकों को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। सभी इएसएफ को चाहिये कि मानक को पुरा कर पायें।

3. कार्य निरंतरता कार्रवाई

उद्‌देश्य–

- यह सुनिश्चित करना कि डीडीएमएक किसी भी आपदा के प्रभाव से त्वरित तरीके से उबरने में सक्षम है और किसी भी आपदा के दौरान कार्यशील है।

मुख्य कार्य

- डीडीएमए के कामकाज संचालन हेतु,विशेष कर आपदा के दौरान,नियम एवं विनियम को परिभाषित करना।
- सुनिश्चित करना कि डीडीएमए में उपाध्यक्ष पदासीन रहे ताकि डीडीएमए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वे डीडीएमए के अध्यक्ष का कार्य कर सके।
- संयोजक की अनुपस्थिति में किसी बैठक को बुलाने के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करना।
- डीडीएमए के लिए सुरक्षित कार्य परिचालन केन्द्र एवं मिटिंग भवन/स्थल चिन्हित करना आपदा से सुरक्षित है। असुरक्षित भवन/स्थल होने की स्थिति में वैकल्पिक स्थान से कार्य करना
- डीडीएमए की महत्वपूर्ण संचिका एवं जानकारियों की सुरक्षा करना और यथा संभव इनके बैकअप बनाना
- इओसी,इएसएफ,डीएमएमसी,डीएमटी,क्यूआरटी,एफआरटी इत्यादि मुख्य ऐजेंसियों के बीच त्वरित सूचना साझेदारी के लिए तंत्र विकसित करना। मोबाईल नेटवर्क पर काम करने की स्थिति में,विशेष रूप से आपात स्थिति के दौरान सूचना के आदान प्रदान के लिए बैकल्पिक तंत्र की व्यवस्था करना।

4. आपात्कालीन पूर्व तैयारी कार्य

उद्‌देश्य–

- संभावित आपात स्थितियों की पहचान करने तथा एकीकृत प्रत्युत्तर के लिए प्रस्तुत रहना

मुख्य कार्य

- संभावित आपात स्थितियों को पहचानना तथा उस संदर्भ में आकस्मिक विशेष कार्य योजना के अनुसार कार्य करना।

- इओसी,इएसएफ,डीएमएमसी,डीएमटी एवं क्युआरटी के साथ निश्चित अंतराल पर,विशेषकर बाढ़ के मौशम में,बैठक करना।
- सुनिश्चित तौर पर आपदा के प्रति संवेदनशील जिला के क्षेत्र को चिन्हित करना एवं यह भी सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी विभागों तथा प्राधिकार द्वारा आपदा की रोकथाम एवं उसके प्रभाव के शमन के लिए उपाय कर दिये गये है।
- पूर्व तैयारी के लिए उठाये गये सभी उपायों की समीक्षा करना तथा जिले के संबंधित विभागों एवं स्थनीय प्राधिकारों को यथा जरूरत दिशा निर्देश देना कि मानक स्तर पर आपदा या संभावित आपदा में प्रभावी प्रत्युत्तर के लिए और उपाय किये जाय।
- आपदा या भावी आपदा में राहत केन्द्र/शिविर के रूप में उपयोग लायक भवन/स्थल को चिन्हित करना और आवश्यकतानुसार अन्य जरूरी सामानों की वयवस्था करना।
- राहत और बचाव सामग्री के भंडार की स्थापना करना और सुनिश्चित करना कि कम समय में राहत सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी है।
- किसी विशेष पूर्व तैयारी निर्देशन,आपूर्ति,पूर्व अभ्यास या प्रशिक्षण आदि के लिए बीएसडीएमए,आपदा प्रबंधन विभाग या अन्य मुख्य एजेंसियों से समन्वय करना।
- विभिन्न स्रोतों से पूर्व चेतावनी की नियमित जानकारी लेने के लिए इओसी को निर्देश देना।
- पूर्व चेतावनी की जानकारी के त्वरित प्रसारण के लिए इओसी द्वारा तंत्र विकसित करना।
- जिले में उचित स्थल पर आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियों की उपलब्धता का जायजा लेना। संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त खरीद या सामग्री आपूर्ति की जरूरत का आकलन करना। इस हेतु संबंधित इएसएफ एवं प्रखंड अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के लिए जबावदेही देना।
- इएसएफ,डीएमटी और क्युआरटी की आकस्मिक कार्य योजनाओं तथा उनकी पूर्व तैयारी की समीक्षा करना।

भाग–2: शमन एवं विकास योजनायें

5.1 शमन योजनायें

शमन योजना में संरचनात्मक और गैर–संरचानात्मक दोनो तरह के अंश को सामिल करने होंगे। खतरों के प्रभाव से बचने या कम करने के लिए इंजीनियरिंग उपाय तथा खतरा प्रतिरोधी एवं रक्षात्मक संरचनाओं के निर्माण आदि कार्य संरचनात्मक शमन उपायों में शुमार है। नीति निर्माण,जागरूकता एवं ज्ञान के विकास, सार्वजनिक प्रतिवध्दता कार्य पध्दति एवं कार्य व्यवहार सहित जनभागिदारी एवं जनसूचना सुविधा आदि कार्य जोखिम एवं उनके प्रभाव को कम करने में मददगार गैर संरचनात्मक शमन उपाय है।

5.2.1. बहु खतरा शमन कार्य

खतरो के उपरलिखित विशिष्ट कार्यो के अलावा निम्नलिखित संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपाय भी किये जाने चाहियें–

शमन के संरचनात्मक उपाय

- सभी सार्वजनिक भवन यथा विद्यालय अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र आदि ऊँचे स्थलों पर इस तरह बनाये जॉयें कि वह वहु खतरों से सुरक्षित हो और उनके पर्याप्त रिट्रोफिटिंग किया गया हो तथा उनमें पर्याप्त निकासी द्वार तथा उचित स्थलों पर अग्निशामक यंत्र रखे हों।
- सभी संवेदनशील क्षेत्रों में वहु–उद्देश्यीय सामुदायिक आश्रय स्थल का निर्माण करना।
- आवास निर्माण की स्थानीय संस्कृति के अनुकुल विविध खतरा बर्दाश्त करने वाले मकान बनाये जॉय।
- जलछाजन प्रबंधन
  - जलछाजन प्रबंधन की वर्तमान संरचना एवं प्रणाली के आकलन के लिए जिला प्रशासन द्वारा अध्ययन कराना तथा प्रभावी जलछाजन प्रबंधन हेतु सर्वोत्तम विकल्पों की सिफारिश करना।
  - नियमित रूप से समय–समय पर प्राकृतिक जलाशय एवं निकासी नाले की नियमित सफाई करना, उनकी गाद निकासी करना तथा उन्हें गहरा करना ।
  - सिंचाई नहर,स्लुइस गेट आदि को आजीविका वृध्दि हेतु तथा जलस्रोत के रूप में उपयोगी स्थानीय तालाब या जलाशय से जोड़ना।

शमन के गैर–संरचनात्मक उपायः

- जोखिम स्थानान्तरण तंत्रःबीमा नीति एवं योजनायें लागु करना/मजबूत करना कि किसी

तीसरी पार्टी को किसी खतरें से हुई क्षति की पूर्ति कराया जा सके आर्थिक क्षति कम करने के लिए फसल,पशुधन लधुव्यापार आदि के लिए बीमा योजना को प्रोत्साहित करना/मजबूत करना

- वास्तुकार,अभियंता एवं राजमिस्त्री आदि के समूह निर्माण करना एवं उन्हें सुरक्षित बुनियादी ढ़ॉचे निर्माण के लिए प्रशिक्षित करना।
- दीर्धकालिक संवेदनशीलता कम करने के लिए वर्षा जल संग्रहन संरचना वाला वैकल्पिक सुरक्षित भवन निर्माण तकनीक को लगातार प्रोत्साहित करना एवं मुख्य धारा में शामिल कराना। इस हेतु नीतियॉ एवं नियम विकसित करना।
- निरंतर जागरूकता एवं प्रोत्साहन कार्य्र चलाकर समुदाय में नये डिजाइन के आपदा सह्य एवं स्थानान्तरण में आसान आवास/गहरे क्षेत्र से हटकर उॅची जगह पर आवास बनाने की मुहिम चलाना एवं इसके लिए यथा संभव प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराना
- प्राथमिक स्तर से लेकर विद्यालय,महाविद्यालय एवं अन्य तकनीकी–गैर तकनीकी संस्थानों में आपदा प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण तथ्य प्राथमिक सहायता एवं खोज तथा बचाव का शिक्षण दिया जाय
- सुखा, जलजमाव, बाढ़ आदि के फसलों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करने हेतु डीडीएमए वैकल्पिक कृषि के शोध कार्य करे।

5.2.2 खतरों के शमन के विशिष्ट कार्य

बहु खतरों के उपरोक्त शमन कार्यो के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्ट कार्य गॉव/प्रखंड की संवेदनशीलता के आधार पर खतरों के शमन के लिए किया जा सकता है।

5.3 शमन की विशिष्ट रणनीति एवं परियोजना

ग्राम स्तर पर निम्नलिखित शमन की विशिष्ट रणनीति एवं परियोजनायें अपनानी चाहियें–

खतरों के प्रकार	संरचनात्मक शमन	गैर संरचनात्मक शमन
बाढ़	• तटबंध,रिंग बांध आदि बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण,रखरखाव एंव सुरक्षा • छोटे–छोटे जलाशयों का निर्माण कि बाढ़ के पानी को अस्थायी रूप से कम कर सके । • बाढ़ के महत्वपूर्ण भवन या नीजी हाउस को ऊँचे स्थान पर और यदि संभव हो तो खम्भो पर बनाना। • ऊँची जगह पर ट्युववेल लगाना । • ऊँची जगह पर बीज बैंक स्थापित करना ।	• पंचायत स्तर पर चौवीसों धंटे पूर्ण दुरूस्त नावें उपलब्ध रहे । • बाढ़ पूर्व/ बाढ़ सह्य फसलें लगायी जॉय । • सुरक्षित क्षेत्र में पूर्णवास के दीर्धकालीन फ्लड प्लेन जोनिंग के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बाढ़ सह्य आवास योजना के लिए जागरूकता पैदा करना।

खतरों के प्रकार	संरचनात्मक शमन	गैर संरचनात्मक शमन
भूकम्प	• सभी मकानों विशेषकर सार्वजनिक भवनों में भूकम्प से बचने की विशिष्टता होनी चाहिये। • भूकम्प क्षेत्र–5 के लिए निर्धारित भवन निर्माण संहिता का अनुपालन किया जाना चाहिये ।	• भूकम्प क्षेत्र–5 के लिए निर्धारित भवन निर्माण संहिता के अनुपालन के लिए जागरूकता पैदा करना ।
सूखा	• सिंचाई नहरें बनाये जॉय । • वर्तमान तालाबों के जीर्णोध्दार सहित नये तालाब मनरेगा योजना के तहत खुदवाये जॉय। • गॉवों में टयुववेल एवं बोरवेल लगाये जॉये। • सुरक्षित स्थानों पर आनाज बैंक का निर्माण हो और उसका रखरखाव हो।	• वर्षा जल संग्रहण कार्य को प्रोत्साहन एवं सहयोग देना । • सिंचाई के लिए बोरवेल एवं टयुववेल पर दिये जाने वाले सरकारी अनुदान के प्रति जागरूकता पैदा करना।
Fire	• अग्नि सुरक्षा संहिता के अनुरूप अग्नि शमन केन्द्र स्थापित हो।	• गर्मी के महीनों में अग्निकांड को कम करने के लिए वैकल्पिक इंधन प्रयोग को प्रोत्साहन देना। • अग्निकांड की धटना रोकने हेतु जागरूकता पैदा करना।

5.3.1 तटबंधों के भीतर के गॉव:

- समुदाय को विश्वास में लेकर खम्भों के उपर धर बनाने के कार्य किये जॉय । बाढ़ क्षेत्र के गॉव में सरकार एवं अन्य हितधारक द्वारा आवास के लिए संचालित परियोजना में खम्भों के उपर धर निर्माण के अपेक्षित डिजाईन अवश्य हों।
- प्रत्येक गॉव या समुदाय में आवास के खम्भों के साथ एक नाव अवश्य बंधा हो ।
- सार्वजनिक भवन यथा विद्यालय या स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण करते वक्त वहॉ प्रतिवर्ष मिट्टी की सतह में होने वाली वृद्वी का ख्याल रखा जाय ताकि भवन आने वाले समय में डूबने से वचे।
- नदियों में आयी बाढ़ से विस्थापित होकर तटबंधों पर अस्थायी शरण लेने वाले लोगों के आवासन के लिए तटबंधों पर चापाकल एवं शौचालय से युक्त सुरक्षित आश्रय बनाये जाय ।
- मानसून पूर्व/बाढ़ मौशम से पहले पकने वाली फसलें उपजायी जाय ताकि मौशमी बाढ़ से होने वाली क्षति कम की जा सके

5.3.2 तटबंधों के बगल के गॉव

- तटबंधों का रखरखाव,सुदृढ़ीकरण एवं अनुश्रवण {निगरानी} अनिवार्य रूप से किये जॉय।
- मानसून से पूर्व तटबंध के संवेदनशील स्थान/केन्द्र की जॉच डीडीएमए अवश्य करें तथा इन्हें मजबूत करने के आवश्यक कार्यो का सुझाव दे।

- वर्तमान स्लुइस गेट को कार्यशील बनाया जाय। ताकि जल का अवाधीत प्रवाह बना रहे । स्लुइस गेट के लिए नवीनतम तकनीक अपनाया जाय जिससे कि गाद एवं बालू के जमाव से निजात मिलती है।
- वर्तमान तालाबों के जीर्णोध्दार किये जॉय । नये तालाब खुदवाये जॉय। स्लुइस गेट इस तरह से बनाये जाय कि इन तालाबों में पानी आ सके। इन तालाबों को उपयोग कृषि एवं मत्स्य पालन में हो। इसके लिए नरेगा योजना की राशि का उपयोग कियाा जाय।
- फसल बीमा योजना लागु की जाय ताकि सूखे या बाढ़ से हुये नुकसान की क्षति पूर्ति हो सके।

5.3.3 नीचली जमीन वाले गॉव

- सड़को के कारण पैदा हुये जल जमाव क्षेत्रों की पहचान डीडीएमए अपने स्तर से करे तथा समाधान के लिए आवश्यक कार्यो का सुझाव दे।
- जलजमाव क्षेत्र में उपजने वाली बाढ़ सह्य फसले लगायी जाय ।
- प्रभावी जल निकासी व्यवस्था के लिए डिजाइन/ निर्माण हेतु संबंधित विभाग को डीडीएमए द्वारा सुझाव देना।
- क्षेत्र में लागू मानक संचालन प्रक्रिया {एसओपी} के अनुकूल ठहरे पानी से होने वाले जलजनित रोगों के रोकने के लिए पीएचइडी एवं स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वच्छता योजनाओं को मजबूती से चलाना चाहिये ।
- गहरे क्षेत्र में बसे परिवारों की पहचान कर उन्हें सुरंक्षित स्थल पर आवासन के लिए जमीन मुहैया कराना ।

5.3.4 नदी से दूर के गॉवः

- क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण कार्य को प्रोत्साहित किया जाय एवं इसके लिए सहयोग दिया जाय ।
- गॉवों में जल सुरक्षा के स्रोत के लिए पर्याप्त ट्येबवेल और वोरहोल लगाये जॉय।
- सिंचाई नहर एवं ट्युववेल के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाय। इस संबंध मे दिये जाने वाले सरकारी अनुदान के प्रति जागरूकता पैदा की जाय।
- मानसून से पूर्व कम समय में कट जाने वाली फसलों को उगाया जाय ताकि जाड़े के समय में मौशमी फसल की खेती की जा सके।
- जोखिम स्थानान्तरण के लिए फसल बीमा को प्रोत्साहित किया जाय।

5.4 विकास योजना

1. विकास एजेंसी द्वारा विकास योजना या परियोजना की पहल से पूर्व अन्य हितधारक,इंटर एजेंसी ग्रुप एवं डीडीए में से परामर्श कर आपदा जोखिम के शमन के उपाय कर लिये जाय।
2. जिले में राज्य/जिला प्राधिकार द्वारा चल रहे सभी विकास परियोजनाओं एवं फ्लेगशीप कार्यक्रमों में आपदा शमन के तत्व अवश्य हो और उसके लिए अतिरिक्त बजट चिन्हित हों
3. जिला के सभी विभाग को डीडीएमए/इएसएफ सिफारिस करे कि विकास योजना में आपदा शमन के व्यवस्था रखे।
4. जिले के सभी विभाग आपदा शमन के पहलू को अपने कार्य की मुख्य धारा में लाने की पहल करें और इस हेतु कम से कम 10 प्रतिशत राशि योजना के बजट में रखे।
5. स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद या विधायक जो योजनायें स्वीकृत करें उनमें आपदा के शमन/आपदा सह्य कारक अवश्य हो।
6. कमजोर समुदाय को आजीविका के लिए स्थायी सुविधा प्रदान करने हेतु निरंतर योजना निर्माण एवं संपादन।
7. सिंचाई नहर,स्लुइस गेट,पक्की सड़क और बहु उद्देश्यीय सुरक्षित आश्रय स्थल जैसी विकास संरचनाओं को प्राथमिकता दी जाय। ये संरचनायें आपदा शमन एवं विकास में मदद करती है।
8. स्थानीय रोजगार पैदा करने वाली और स्थानीय रूप से संपन्न होने वाली अधिकांश आपदा शमन सह्य विकास योजनाओं को मनरेगा के तहत मजबूती के साथ किया जाना चाहिये।

5.5 शमन एवं आपदा योजना के मजबूतीकरण के उभरते मुद्दो की वकालत

- राज्य द्वारा दी जाने वाली बजट, डिजाईन एवं उपयोगिता के लिए ऐसे लचीले प्रावधान किये जॉय कि जिले के अधिकारी सशक्त रूप से विकास योजनाओं में शमन की प्राथमिकता सुनिश्चित कर पाये ।
- इंदिरा आवास तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसे फ्लेक्सी कार्यक्रम में एकरूप डिजाइन एवं बजट वाले भवन बनाने से परहेज किया जाय । इस जिले के लिए आवश्यक शमन उपायों के लिए विशेष डिजाइन अपनाने का लचीलापन आवश्यक है।
- पंचायत स्तर पर शमन के लिए विकास योजनाओं का मनरेगा के तहत बढ़ावा दिया जाय ताकि टिकाऊ आजीविका एवं विकास सुनिश्चित हो सके।

2. मधुबनी जिले में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र एवं योजना का कार्यान्व्यन

भाग—1: मधुबनी जिले में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र

1. परिचय

भारत में प्रखंड,अनुमंडल,जिला,राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक समेकित प्रशासनिक तंत्र बना हुआ है। जैसा कि वर्तमान में है,किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव,राहत तथा पुनर्वास का बुनियादी दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। राज्य सरकारों के प्रयास में वित्तीय एवं रसद सहायता भारत सरकार देती है।

सभी सरकारी गतिविधि तथा योजनाओं के कार्यान्वयन जिला प्रशासन केन्द्रीय भूमिका निभाता है। वास्तव में,जिला समाहर्त्ता ही सभी दैनिक कार्य एवं राहत सहायता के जबावदेह अधिकारी है और उन्हें ही जिले के सभी विभागों के बीच समन्वयन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त है।

73 एवं 74वें संविधान संशोधन ने पंचायतीराज संस्थाओं को स्वशासन की संस्था के रूप में पहचान दी है। संशोधन में पंचायतराज व्यवस्था की संरचना, शक्तियॉं, कार्य, वित्त हस्तान्नतरण, नियमित चुनाव तथा महिला समेंत अन्य कमजोर वर्गो के आरक्षण संबंधी आवश्यक मार्ग निर्देशिका तय कर दिया है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, राहत वितरण, पीड़ितों को आश्रय देना तथा स्वास्थ्य सहायता आदि उपलब्ध कराने के लिए इन स्थानीय संस्थाओं का उपयोग प्रभावी उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

राष्ट्रीय, राज्यीय, जिला एवं स्थानीय स्तर पर उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अनेक ऐसे स्थागत हितधारक भी है जो इस देश में विविध स्तरों पर आपदा प्रबंधन के काम में लगे हुये है। इनमें पुलिस, पारा मिलिटरी, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक, अग्निशमन सेवा, पूर्व सैनिक, सरकारी संगठन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मिडिया और हेम ऑपरेटर आदि संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

आपदा प्रत्युत्तर, राहत एवं पूनर्वास के लिए जिले में सुस्थापित सांस्थानिक एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत है। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी सावित हुई है। यह खंड जिले के इस तंत्र की संक्षिप्त जानकारी देता है।

1.1 जिला स्तर के संस्थानों के वर्गीकरण:

जिले के विविध संस्थानों को नीचे दिये गये तरीके से अलग—अलग समूहों में बॉटा जा सकता है—

1.1.1 स्तर के मुताविक वर्गीकरण:

मधुबनी जिले के विभिन्न संस्थान प्रशासनिक स्तर से निम्न प्रकार से विभक्त है—

- जिला स्तर
- अनुमंडल स्तर
- प्रखंड स्तर
- ग्राम पंचायत स्तर
- समुदाय स्तर

1.1.2 हितधारकों के स्तर पर वर्गीकरणः

- **सरकारी हितधारक** – डीडीएमए, लाइन डिपार्टमेंट, इएसएफ, स्थानीय स्वशासन आदि निम्नलिखित हितधारक

    - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणः यह प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किसी आपदा के प्रत्युत्तर एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए गठित है।

    - लाइन डिपार्टमेंटः जिले में 28 लाइन डिपार्टमेंट है। जिला प्रशासन के प्रति ये सभी जबावदेह है।

    - पंचायतराज संस्थायेंः जिले में जिला परिषद एक स्थानीय सरकारी निकाय है। पंचायतीराज व्यवस्था में जिला परिषद तृतीय श्रेणी का सर्वोच्च है। जिला परिषद जिले के ग्रीमण क्षेंत्र के प्रशासन के मामले देखता है और इसका मुख्यालय जिला में है।

      पंचायतीराज संस्था के जिला,प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनायें निर्माण एवं कार्यान्वयन में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराते है।

- **गैर सरकारी हितधारकः**

    - इंटर एजेंसी ग्रुप : जिले में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भूमिका निभाने वाले अन्य हितधारकों के अतिरिक्त विभिन्न गैर सरकारी स्वंय सेवी संगठने के साझा मंच के रूप में एक सक्रिय इंटर एजेंसी ग्रुप जिला स्तर पर आपसी सहयोग एवं समन्वयन के लिए कार्यशील है।

    - गैर सरकारी संगठन : जिले में आपदा प्रबंधन,क्षमता निर्माण सामुदायिक क्षमता विकास आदि विविध मुद्दो पर सक्रिय कार्य करने वाली अनेक गैर सरकारी स्वंय सेवी संस्थाने है।

    - अन्य हितधारक : जिले में ऐसे अनेक अन्य हितधारक समूह है जिनके पास किस्म–किस्म के संसाधन एवं क्षमता उपलब्ध है और जिन्होंने विभिन्न आपदा के समय में सराहनीय सहयोगी भूमिका निभाई है।

1.2 जिला स्तर पर समन्वयन एवं एकीकरण के अच्छे अभ्यास {उदाहरण}:

1.2.1 आवश्यक सेवा कार्य {इएसएफ}

जिले में आपदा एवं गैर आपदा समय में मानव जीवन एवं उसकी गरिमा की दृष्टि से प्रशासन के निर्वाध संचालन सहित अन्य सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतरता के उद्देश्य से सुनिश्चित करने के लिए इएसएफ बना हुआ है।

1.2.2 घटना { हादसा } प्रत्युत्तर प्रणाली {आइआरएस}

किसी घटना हादसा से संबंधित उदेश्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए सुविधाये,रसद,कर्मी,वित्त कार्य संचालन एवं संचार आदि प्राप्त संसाधन के जबावदेहपूर्ण प्रबंधन के लिए बना एक सामान्य सांगठनिक ढ़ॉचा को हादसा प्रत्युत्तर प्रणाली कहते है।

1.2.3 एकीकृत प्रत्युत्तर रणनीति {युआरएस}:

एकीकृत प्रत्युत्तर रणनीति {युआरएस} एक अच्छा अभ्यास है। यह स्थानीय क्षमता एवं अंतर एजेंसी समन्वयन के लिए विकसित किया गया हितधारकों को आपातकालीन प्रत्युत्तर के लिए सत्त रूप से सामान्यतःप्रक्रियारत रखता है।

1.2.4 त्वरित प्रत्युत्तर टीम {क्युआरटी}/आपदा प्रबंधन टीम {डीएमटी}:

आपातकालीन स्थिति में पूर्व नियोजित रणनीति एवं पूर्व निर्धारित कार्य,भूमिका एवं जबावदेही के साथ त्वरित एवं प्रभावी प्रत्युत्तर के लिए त्वरित प्रत्युत्तर टीम का गठन किया गया है।

टिप्पणीःइन अभ्यासों के विषय में विस्तृत विवरण तीसरे प्वाइंट में है।

2. हितधारकों की भूमिका एवं जबावदेहीः

2.1 सरकारी हितधारकः

2.1.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राष्ट्रीय तथा राज्यीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों से जिले में आपदा प्रबंधन के लिए प्राप्त मार्ग निर्देशिका के अनुरूप जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सामान्यतः योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन एवं समन्वयन तथा अन्य संबंधी उपायों के प्राप्त करने की भूमिका निभाता है। आपदा जोखिम न्यूनिकरण के लिए सामान्य समय में किये जाने वाले विशिष्ट कार्यो के लिए डीडीएमए की हरी किताब में हितधारकों की कार्य योजना के संदर्भ देखे जा सकते है वहीं आपातकालीन प्रत्युत्तर एवं रिकवरी के लिए डीडीएमए की ही लाल किताब के संदर्भ देखा जाना चाहियें।

2.1.2 डीडीएमए सलाहकार समितिः

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पेशेवरों की एक सलाहकार समिति डीडीएमए को समय–समय पर विभिन्न योजना एवं कार्यो पर सलाह देने के लिए गठित की जायेगी।

आपदा प्रबंधन में स्वंय सेवी संस्थाओं में भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देश के अनुसार इंटर एजेंसी ग्रुप की कतिपय सदस्य संस्थाओं को डीडीएमए की सलाहकार समिति में मानित किया जाना चाहियें तथा डीडीएमए यदि चाहे तो इस समिति में अन्य पेशेवरों को भी रख सकता है।

2.1.3 लाइन डिपार्टमेंटः

सामान्यतःइन विभागों की भूमिका अपने चरित्र के अनुरूप जिले में विकास के कार्य सुनिश्चित करना है। सभी विभागें अपने लिए आपदा प्रबंधन के मामले में सामान्य समय के लिए विशिष्ट कार्रवाई एवं आपदा जोखिम निवारण हेतु डीडीएमए की हरी किताब के संदर्भ देखें जॉय तथा आपातकालीन समय के लिए उसी की लाल किताब के संदर्भ देखे जा सकते है।

2.1.4 पंचायतीराज संस्थाः

संविधान के अनुसार अपने संबंधित क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन दोनो करेंगे । इस बात के लिए विश्वास किया जाता है कि राज्य सरकार पंचायतों को ये काम{बिहार में अनिवार्य रूप से 29 विषय वर्तमान में नियत है} सौंपेगी तथा इसके लिए आवश्यक कोष{राज्य वित्त आयोग की सिफारिशो के अनुसार } उपलब्ध करायेगी।

जिस तरह की केन्द्र एवं राज्य सरकारों में अलग–अलग मंत्रालय है उसी तरह से पंचायतो के कार्य के लिए अलग–अलग समितियॉं है। इन समितियों को स्टेंडिंग कमिटी/स्थायी समिति/उपसमिति कहा जाता है। हर कमिटी का प्रभारी कोई एक सदस्य होता है जबकि समस्त समितियों का प्रभारी पंचायत अध्यक्ष होता है।

वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सरकार से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त पंचायतों को मनरेगा योजना,डीआडीएफ {पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि},इंदिरा आवास योजना आदि के कार्यान्वयन हेतु योजनागत कोष प्राप्त होते है। पंचायतों को अधिकार है कि राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप अपने क्षेत्र मे राजस्व वृद्वि के लिए कर वसूले या शुल्क एवं दंड लागू करे।

2.2 गैर सरकारी हितधारक

2.2.1 इंटर एजेंसी ग्रुप मधुबनी

इंटर एजेंसी ग्रुप मधुबनी जिले में मानवीय सहायता करने वाली एजेंसियों का साझा संगठन है। स्वैच्छिक संस्थान,नागर संस्थायें,बुध्दिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि,युवा संगठन आदि सहित जिला प्रशासन,रेड क्रॉस एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के लोग इसके सदस्य है {खण्ड–1, हितधारक विश्लेषण का कृप्या संदर्भ लिया जाय}।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण,आपदा के लिए पूर्व तैयारी,प्रत्युत्तर एवं रिकवरी कार्य हेतु आपदा एवं गैर आपदा दोनो स्थिति में मधुबनी जिले के सभी हितधारकों को समन्वयन एवं सहयोगी रणनीति बनाने के लिए इंटर एजेंसी ग्रुप मधुबनी के मंच देता है।

2.2.2 गैर सरकारी संगठनः

विविध सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दो सहित आपदा प्रबंधन मुद्दे पर समुदाय की क्षमता वृध्दि,ग्राम स्तरीय योजना बनाना,टास्ट फोर्स का गठन करना तथा युवा एवं महिला समूहों की क्षमता वृध्दि की महत्वपूर्ण भूमिका जिले में सक्रिय अनेक गैर सरकारी संगठनों ने निभाई है।

समुदाय तक पहुॅंचकर सही लाभांवितों को राहत पहुॅंचाने एवं पुनर्वास के कार्यो में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।

2.2.3 अन्य हितधारकः

जिले में कुल 13 अन्य महत्वपूर्ण हितधारक समूहों को चिन्हित किया गया है {संदर्भ–हितधारक विश्लेषण}। ये समूह जिले में सर्वांगीन सामाजिक आर्थिक विकास कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

3. जिला स्तर पर समन्वयन एवं एकीकरण के अच्छे अभ्यास {उदाहरण} तंत्र

3.1 आवश्यक सेवा कार्य {इएसएफ}

मधुबनी जिला में निम्नखिलित 17 इएसएफ चिन्हित किये गये है–

1. खोज एवं बचाव	2. जल,स्वच्छता एवं स्वास्थ्य {वाश–डब्ल्युएएसएच}	3. भोजन
4. आश्रय	5. स्वास्थ्य	6. शिक्षा
7. पशुधन	8. आजीविका	9. उर्जा
10. संचार	11. सुरक्षाःसामाजिक कल्याण,बाल सुरक्षा,दलित/आदिवासी/अल्पसंख्यक एवं अन्य कमजोर वर्ग	
12. सार्वजनिक कार्य	13. परिवहन	14. सूचना एवं योजना
15. हेल्पलाइन	16. कानून व्यवस्था	17. मिडिया

3.1.1 आवश्यक सेवा कार्य {इएसएफ} के कार्य

कुल मिलाकर निम्न निर्देशिका है–

क} प्रत्येक इएसएफ का एक नोडल एजेंसी होगा खास कर सरकारी एजेंसी संबंधित सेवा प्रदान करने के मुख्य जबावदेह होगी।

ख} अन्य सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियॉ जो वह सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगेगी वह उपरोक्त नोडल एजेंसी के साथ सहयोगी एजेंसी के रूप समन्वय करेगी।

ग} सहयोगी एजेंसियों के साथ परामर्श करके नोडल एजेंसी अपनी शर्त,नियम एवं उपनियम विकसित करेगी।

ध} सहयोगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर भयंकरतम आपदा की स्थिति में अपने लिए एक विशेष सेवा योजना बनायेगी।

उदाहरण के लिए जल,स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संवर्धन इएसएफ को निम्नलिखित तरीके से दर्शाया गया है–

3.12. इएसएफ प्रबंधन समितिः

सभी इएसएफ के प्रमुखों मिलाकर इएसएफ प्रबंधन समिति बनती है इसका अध्यक्ष जिला प्रमुख तथा सह अध्यक्ष डीडीएमए के मुख्य कार्यकारी पदाधिकरी या अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन होते है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन होने के बाद यही समिति जिला आपदा प्रबंधन समिति की भूमिका में आ जाती है।

प्रत्येक इएसएफ के लिए हरी एवं लाल किताबों में सभी नोडल एवं सहयोगी एजेंसियों की भूमिका एवं जबावदेही का पूरा विवरण है।

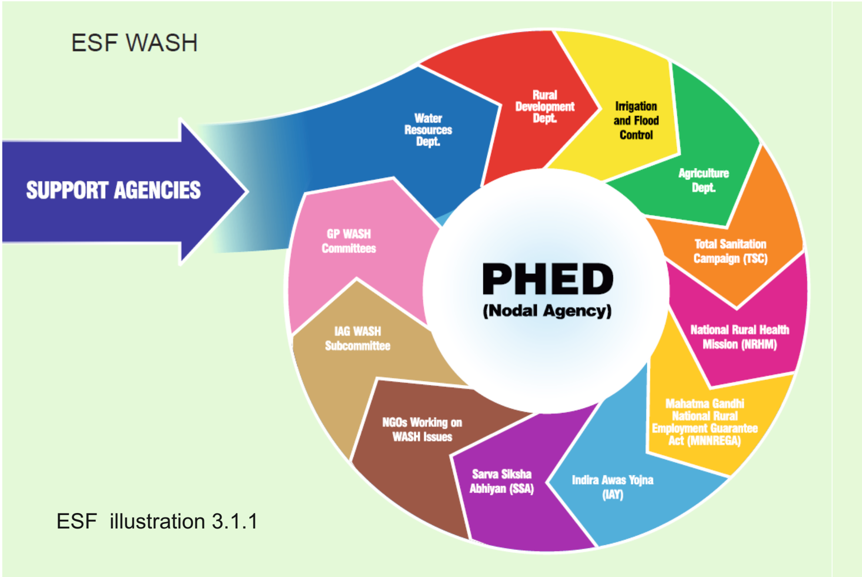

ESF illustration 3.1.1

इएसएफ प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य–

- प्रत्येक इएसएफ के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य की वार्षिक योजनाओं का मिलान एवं इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- प्रत्येक इएसएफ के नोडल एवं सहयोगी एजेंसियों की विकास गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनिकरण की परियोजना एवं गतिविधि को शामिल कराने की अनुशंसा करना।
- आपदाकाल में प्रत्येक इएसएफ के आकलन का मिलान करना एवं डीडीएमए को हस्तक्षेप रणनीति के लिए सुझाव देना।
- प्रत्युत्तर एवं रिकवरी हस्तक्षेप के लिए रणनीतियों को अंतिम रूप देना।
- सभी तरह के प्रत्युत्तर कार्य का समन्वयन करना।
- अच्छे व्यवहार एवं अर्जित ज्ञान का दस्तावेजी करना।
- जनशिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना।

3.2 घटना {हादसा} प्रत्युत्तर प्रणाली {आइआरएस}:

क्षेत्र के धटना प्रत्युत्तर टीम के माध्यम से आइआरएस संगठन कार्य करता है। डीडीएमए के अध्यक्ष की हैसियत से जिला समाहर्त्ता ही धटना प्रत्युत्तर प्रबंधन का सर्वोच्च पदाधिकारी एवं जबावदेह व्यक्ति होता है। आवश्यकतानुसार जिला समाहर्त्ता किसी अन्य जबावदेह अधिकारी को अपना कार्यभार सौप सकता है या किसी बरीय अधिकारी को इंसिडेंट कमांडर न्यूक्त कर सकता है।

अगर आपदा एक से अधिक जिले में हुई रहती है तो उस जिले का जिला समाहर्त्ता इंसिडेंट कमांडर का काम करता है जहाँ आपदा की गंभीरता सबसे ज्यादा है और क्षति सबसे ज्यादा हुई है।

धटना प्रत्युत्तर प्रणाली के सक्रिय के साथ–साथ लाइन डिपार्टमेंट के सभी संगठन/व्यक्ति इंसिडेंट कामांडर के निर्देशों को पालन करने लगेगा। जिला समाहर्त्ता जिला के सभी तंत्र एवं संसाधन को आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आपदा क्षेत्र में प्रतिनियोजित कर सकता है।

हादस प्रत्युत्तर प्रणाली के सक्रिय होने के साथ–साथ एक कार्य संचालन सेक्शन,एक योजना सेक्शन,एक रसद सेक्शन और एक वित्त सेक्शन अपने–अपने प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ त्वरित कार्य करने की भूमिका में आ जायेगा। इन सेक्शनों के प्रभारियों के नियुक्ति करने का

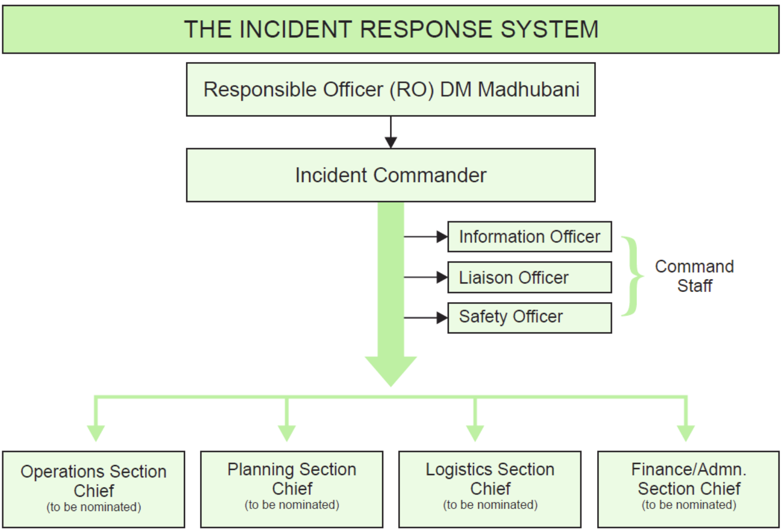

अधिकार केवल इंसिडेंट कमांडर को है। सेक्शन प्रभारियों में पीड़ितों तक रसद सहायता पहुँचाने तक की सभी संबंधित जबावेदही निहित होता है।

उपरोक्त विभिन्न सेक्शनों के नामित होने वाले प्रभारी एवं सहयोगियों का वर्णन–

1. अपर जिला समाहर्त्ता/लाइन डिपार्टमेंट के प्रमुख आदि जिले के बरीय पदाधिकारी ही उपरोक्त सेक्शनों के प्रभारी होंगे।

2. इंसिडेंट कमांड की कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी को कोई जबावदेही नही दी जायेगी। क्यौकि वह अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन {ओइओसी} केन्द्र के संचालन के जिम्मेवार होते है या प्रभावित क्षेत्र में प्रतिनियोजित होते है और इंसिडेंट मेंनेजमेंट टीम के टीम लीडर भी होते है।

3. प्रत्येक क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र एक आइएमटी होगा।

3.2.1 इंसिडेंट कमांडर के मुख्या कार्य:

इंसिडेंट कमांडर के निम्नलिखित सामान्य कार्य होंगे:

- आपातकाल में अवाधित संचार प्रवाह बनाना एवं उसके एकीकरण के तंत्र विकसित करना।
- आपदा के परिदृश्य का संपूर्ण प्रबंधन और एक एकीकृत एवं समन्वित कमांड प्लान के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिला,राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न इएसएफ के अपने प्रोटोकॉल एवं कार्य प्रक्रिया के लिए सुविधा प्रदान करना।
- संचार व्यवस्था को इस तरह से दुरूस्त रखना कि आपदा के समय मिलने वाली सभी सूचना को प्राप्त किया जा सके,उनका रेकर्ड रखा जा सके और सूचना के आदान–प्रदान के स्वीकृति पत्र दे सके।
- आपातकाल में इएसएफ के पास उपलब्ध राहत सामग्री के वितरण का प्रबंधन करना।
- आपदा के समय एवं उसके बाद किये गये कार्य क्षेत्रो का अनुश्रवण करना।
- इन उपरोक्त सामान्य कार्यो के अतिरिक्त इंसिडेंट कमांडर को अनेक निम्नलिखित विशिष्ट कार्य करने पड़ते है।
  - स्थिति का अनुमान लगाना
  - मानव जीवन जोखिम का अनुमान लगाना
  - तात्कालिक उद्देश्यों {कार्यो} का निर्धारण करना
  - आपदा क्षेत्र में पर्याप्त आवश्यक संसाधन की उपलब्धता तय करना/उपलब्धता के लिए आदेश देना
  - तात्कालिक कार्य योजना तय करना
  - एक प्रारंभिक तात्कालिक संगठन बनाना
  - कार्य लक्ष्यों का समीक्षा करना,उनमें सुधार करना और आवश्यकतानुसार अपने कार्य याजना मे उससे समायोजित करना

3.2.2 ऑपरेशन सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य:

- प्राथमिक उद्देश्य पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रत्यक्ष कार्यो के प्रबंधन की जिम्मेवारी
- हादसा कार्य योजना के अनुसंग में सांगठनिक तत्वों को सक्रिय करना परिवेक्षण करना और कार्यान्वयन का निर्देशन देना
- आवश्यकतायें तय करना एवं अतिरिक्त संसाधन के लिए अनुरोध करना
- उपलब्ध संसाधनों की सूची की समीक्षा करना और संसाधनों के वितरण के लिए अनुशंसा करना

- इंसिडेंट कमांडर को सभी विशेष गतिविधि और धटनाओं के प्रतिवेदन देना
- अपने यूनिट / गतिविधियों का इंतजाम करना

3.2.3 योजना सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य:

- किसी हादसा के संबंध में सूचना संग्रह करना,उनका मूल्यांकन करना,प्रसार करना तथा उपयोग करना। अद्यतन स्थिति की जानकारी लेना।
- वैकल्पिक रणनीति बनाना तथा सभी कार्यो का नियंत्रण करना
- तात्कालिक कार्ययोजना {आइएटी} निर्माण का परिवेक्षण करना
- आइएटी के निर्माण में इंसिडेंट कमांडर को सुझाव देना
- आवश्यकतानुरूप आपदा क्षेत्र में कार्यरत किसी अधिकारी को नया कार्य सौपना
- हादसा के प्रत्युत्तर के लिए किसी विशिष्ट संसाधन की जरूरत तय करना

3.2.4 रसद सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य:

- योजना सेक्शन के लिए संसाधन,सिचुएशन यूनिट आदि हेतु आवश्यक सूचना एवं प्रतिवेदन तंत्र स्थापित करना
- हादसा की अद्यतन स्थिति की जानकारी का संकलन एवं प्रदर्शन करना
- हादसा विनियोजन योजना के तैयारी एवं कार्यान्वयन की देख–रेख करना
- यातायात, चिकित्सा, आपदा क्षेत्र सुरक्षा और संचार आदि की योजनाओं को आइएपी में शामिल करना। अपने यूनिट / गतिविधियों का इंतजाम करना
- अद्यतन स्थिति एवं संसाधन उपलब्धता पर मिडिया को जानकारी देना,लक्ष्य तय करना, कार्य क्षेत्र सीमा निर्धारण करना,कार्य समूह निर्माण करना,प्रत्येक विभाग के लिए रणनीति एवं सुरक्षा निर्देश तय करना,प्रत्येक क्षेत्र की जरूरत के संसाधन निदृष्ट करना,कार्य संचालन सुविधाओं को निदृष्ट करना,नक्शा तैयार कना,प्रतिवेदन स्थल तय करना,संसाधनों को उचित स्थान पर रखवाना और कर्मचारियों को अनुशासन में रखना आदि भी रसद सेक्शन के मुख्य काम है।
- कर्मियों को काम और कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी देना
- अपने कार्य के लिए पूर्व नियोजित एवं भावी कार्य संचालन के लिए आवश्यक सेवा एवं सहायता जरूरतों को चिन्हित करना।
- अतिरिक्त संसाधन के लिए प्रक्रिया अनुरोध शुरू करना और इसके लिए समन्वय करना
- संचार योजना,यातायात योजना,चिकित्सा योजना आदि की समीक्षा करना एवं सुझाव देना
- अपने यूनिट के संसाधनों का वितरण करना
- अपने यूनिट / गतिविधियों का इंतजाम करना

3.2.5 वित्त सेक्शन प्रभारी के मुख्य कामः

वित्त सेक्शन मूलतःप्रशासन एवं वित्त प्रबंधन के लिए है। इंसिडेंट कमांड पोस्ट,आधार कार्यालय क्षेत्र,आधार कार्यालय और शिविरों के प्रबंधन वित्त सेक्शन के प्रमुख कार्यो के अंतर्गत है। इसके निम्न कार्य भी है–

- संसाधनों की उपलब्धता के लिए आ रहे अत्यधिक अनुरोध को कम करना
- आइसी/आपीएस को संसाधन उपयोग के लिए आवश्यक योजना बनाने की जबावदेही देना एवं आकस्मिकता के लिए संसाधन की स्वीकृति देना

3.3 एकीकृत प्रत्युत्त रणनीति {युआरएस}

जिला समाहर्त्ता डीडीएमए मधुबनी के अध्यक्ष की हैसियत से युआरएस को सक्रिय कर सकता है या फिर किसी वरिय अधिकारी को युआरएस की जिम्मेवारी के लिए नियुक्त कर सकता है। इंटर एजेंसी समन्वयन हेतु स्थानीय क्षमता निर्माण के साथ–साथ हितधारकों द्वारा आपदा प्रत्युत्तर के सामान्य निरंतर प्रकिया के लिए युआरएस एक अच्छा व्यवहार {कार्य} है। युआरएस निम्न मुख्य कार्य है–

{क} समन्वय एंव सहयोग के लिए स्थानीय क्षमता निर्माण करना। मधुबनी जिले में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक गतिशील इंटर एजेंसी ग्रुप कार्यरत है।

{ख} सभी हितधारकों द्वारा सहयोगी प्रत्युत्तर की सामान्य प्रकिया विकसित करना

इस प्रकिया में निम्नलिखित मुख्य कदम उठाये जा सकते है–

- पूर्व तैयारी में युआरएसःसभी सदस्य संस्थायें अपनी पूर्व तैयारी योजना एवं संसाधनों की उपलब्धता आदि के बारे में एक दुसरे से सूचनायें साझा करती है और आवश्यकताओं के आकलन करती है।
- पूर्व चेतावनी एवं अद्यतन स्थिति सूचनाओं {एसआइटीआरइपी–सिट्रेप} का प्रसारण करते है।
- युआरएस का सक्रियकरण समान्य आकलन प्रपत्र और बहुक्षेत्रीय एवं बहुएजेंसी आकलन
- सभी स्तरों पर समन्वयन
- क्षेत्रीय समन्वयन एवं संयुक्त रणनीति
- सामान्य समीक्षा एवं मूल्यांकन तथा शिक्षण {शीख}
- युआरएस रोकना

3.4 त्वरित प्रत्युत्तर टीम {क्युआरटी} व आपदा प्रबंधन टीम {डीएमटी}:

आपदा से समय क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र {ओइओसी} के साथ–साथ जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी} में समन्वयन डेस्क स्थापित करने के लिए प्रत्येक इएसएफ

को अच्छी तरह से तैयार रहना चाहियें। इसलिए उसे एक नोडल ऑफिसर के साथ–साथ एक और वैकल्पिक नोडल ऑफिसर विशिष्ट जबावदेही निभाने के लिए अनिवार्य रूप से नामित करना है। इसके अतिरिक्त एक हेड क्वाटर टीम और एक त्वरित प्रत्युत्तर टीम तथा न्यूनतम तीन क्षेत्रीय प्रत्युत्तर टीम {एफआरटी} गठित करने है। प्रत्येक टीम में कम से कम पॉच सदस्य हों। इन सदस्यों के नाम एवं पते तथा संपर्क नम्बर समय–समय पर अद्यतन करने चाहिये। वर्किंग ग्रुप–ǃǃǃ का दायित्व होगा कि वह इन सब चीजों की समीक्षा करें, जानकारियों को अद्यतन करे तथा सभी आपदा प्रबंधन टीम के साथ समन्वयन करे। सभी सहयोगी संस्थायें प्रत्यक्ष रूप से अपनी नोडल एजेंसी को कार्य प्रतिवेदन देंगे जबकि सभी नोडल एजेंसियॉ अपने अलग–अलग प्रतिवेदन इंसिडेंट कमांडर को देंगे।

4. जिला से ग्राम पंचायत तक का उर्ध्वाकार एकीकरण तंत्रः

दो तरीकों से चार स्तर पर इएसएफ कमीटी उर्ध्वाकार रूप में एकीकरण करती हैः

{क} अपने लाइन डिपार्टमेंट के भीतर उर्ध्वाकार संपर्क से

{ख} अपने सूचना एवं समन्वयन सचिवालय में जिला एवं प्रखंड के इओसी तथा ग्राम पंचायत में अवस्थित ग्राम ज्ञान केन्द्र से प्राप्त सूचना एवं समन्वय से

जिले मे एकीकरण और समन्वयन तंत्र अंगूठी जैसी चार स्तरीय गोलाकार संरचनाओं में निम्न तरीकों से संचालित है–

- जिला स्तर परःजिला समाहर्त्ता मधुबनी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,जिला इओसी सूचना प्रसारण एवं समन्वयन के जबावदेह है।
- सभी नोडल एजेंसियों को मिलाकर एक इएसएफ प्रबंधन समिति बनती है जिसके अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष होता है। इएसएफ प्रबंधन समिति जिले के सभी इएसएफ के बीच समन्वयन एवं एकीकरण का तंत्र विकसित करता हैं। इओसी, डीडीएमए तथा प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर के इओसी से समन्वयन एवं सूचना के आदान प्रदान की जिम्मेवारी जिला इओसी को होती है।
- प्रखंड स्तर परःप्रखड प्रमुख की अध्यक्षता में प्रखंड स्तर पर इएसएफ समन्वयन समिति बनती है जो प्रखंड स्तर के कार्यो का एकीकरण और समन्वय करती है।
- ग्राम पंचायत स्तर परःसभी ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति होती है।

समुदाय द्वारा स्वशासन के हित में आवश्यकता अनुकूल यह व्यवस्था ग्राम पंचायत से नीचे गॉव/वार्ड,टोला तक बनायी जा सकती है।

4.2 हितधारक कार्य योजनाः

मधुबनी जिले के हितधारकों को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है–

Integration and Coordination District Level to GP Level

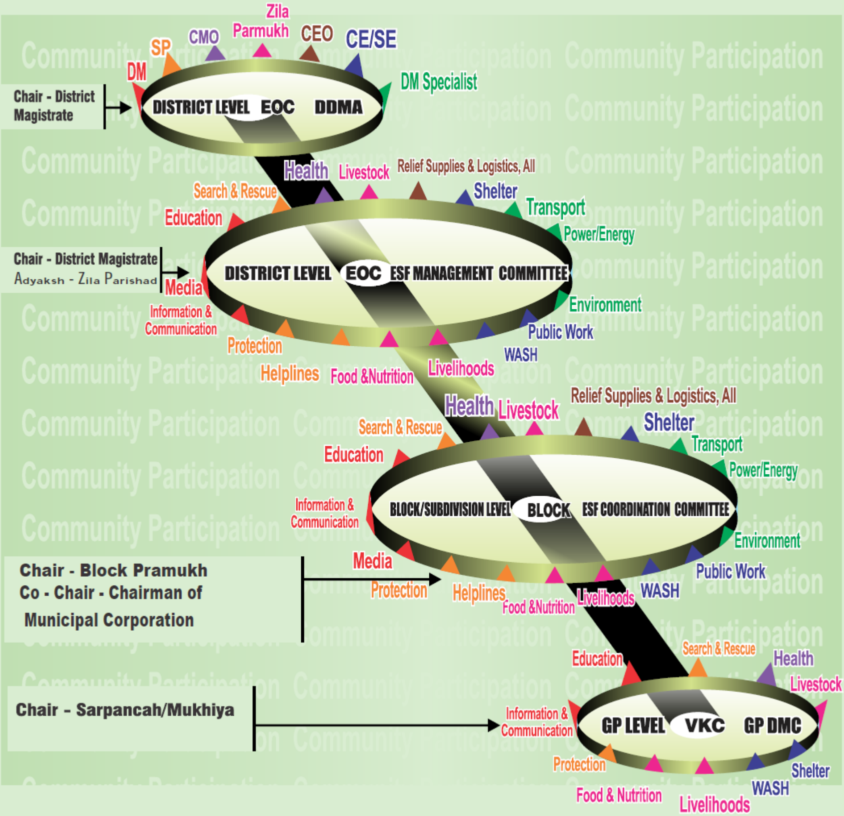

DM	:	District Magistrate	**DM Specialist**	:	Disaster Management Specialist
SP	:	Superintendent of Police	**EOC**	:	Emergency Operation Center
CMO	:	Chief Medical Officer	**ESF**	:	Essential Support Functions
CEO	:	Chief Executive Officer, DDMA	**VKC**	:	Village Knowledge Centre
CE	:	Chief Engineer			

{क} सरकारी लाइन डिपार्टमेंट और प्रमुख {फ्लेगशिप} योजनाये:—मधुबनी जिला प्रशासन के अंतर्गत कुल 27 लाइन डिपार्टमेंट है। इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक प्रमुख योजनाये है। डीडीएमए की हरी एवं लाल किताबों में इन सभी हितधारकों की कार्य योजना के लिए उपरोक्त सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति जिम्मेदार है।

{ख} सामुदायिक समूह:जिले में 13 तरह की समुदाय स्तर की समितियॉ है। ये सभी ग्राम पंचायत

आपदा प्रबंधन समिति के प्रति जबावदेह है जो खुद जनता के प्रति जबावदेह है और प्रखंड समिति तथा जिला परिषद के जुड़ाव के माध्यम से प्रबंधन समिति एवं डीडीएमए से क्रमशःएकीकृत हो जाती है।

{ग} अन्य समूहःजिले में समग्र सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 13 अन्य हितधारक समूह भी है। ये सभी समूह इंटर एजेंसी ग्रुप,मधुबनी तथा विविध इएसएफ कार्यो से प्रणाली के तहत एकीकृत है।

मानव जीवन की गुणवत्ता/ गरिमा बढ़ाने,लोगों में सुशासन तथा सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक हितों की रक्षा में इन सभी हितधारकों की अपनी–अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतःइन हितधारकों की कार्य प्रणाली आपदा प्रत्युत्तर तत्वों से जुड़ी रही है। अतःयह बहुत महत्वपूर्ण है।

आपदा की स्थिति में इन हितधारक समूहों ने आपदा राहत कार्यो में सहयोग देते हुए भी स्वंय की पूर्व गतिविधियों को महत्वपूर्ण ढंग से जारी रखी है। उन समूहों के पास वे क्षमता है उनका उपयोग आपदा प्रत्युत्तर में किया जा सकता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण,आपदा प्रत्युत्तर एवं रिकवरी के महत्वपूर्ण कार्यो में इन हितधारकों के लिए इस खंड में दिशा निर्देशिका है। ये दिशा निर्देशिकायें अंतिम सत्य नही है बलकि हितधारक इससे आगे बढ़कर स्वंय के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना विकसित कर सकते है तथा विशिष्ट विषय के लिए तकनीकि मार्ग निर्देशिका एवं नियमावली भी बना सकते है। वर्तमान में दी गयी मार्गनिर्देशिका उन हितधारकों के लिए केवल सुझाव मात्र है।

प्रत्येक हितधारक समूह के लिए मार्गनिर्देशिका दो खंडो में विभक्त है– {अ} आपदा जोखिम न्यूनिकरण के महत्वपूर्ण कार्यो का विवरण देती हरी किताब और {ब} आपदा प्रत्युत्तर एवं रिकवरी के महत्वपूर्ण कार्यो की जानकारी देती लाल किताब।

ये मार्गनिर्देशिकायें {हितधारकों की विशिष्ट कार्य योजना} डीडीएमए कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या फिर डीडीएमए वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

भाग–2: जिला, प्रमंडल, राज्य एवं राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़ाव

5. राज्यीय एवं राष्ट्रीय जुड़ावः

आपदा के प्रभाव पर आधारित स्तर {एस} अवधारणा के संदर्भ में आपदा को 4 वर्गो में वर्गीकृत किया गया है–

- स्तर 0 {एल 0 लेवेल} यह उस स्थिति को कहते है जब किसी तरह की आपदा न हो। स्थानीय प्रशासन एवं अन्य हितधारक सामान्य रूप से अपने कार्य कर रहे होते है। यही वह समय है जब हरी किताब में वर्णित गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना होता है।
- स्तर 1 {एल 1 लेवेल} जिले के अपने संसाधन एवं अपनी क्षमता के बल पर जिन आपदाओं से उबरा जा सकता है वैसी आपदाओं को एल 1 लेवेल कहते है।
- स्तर 2 {एल 2 लेवेल} वैसी आपदा जिससे निपटना जिला प्रशासन की क्षमता से बाहर हो और उसे इसके लिए राज्य की एजेंसियों से सहायता की जरूरत हो एल 2 लेवेल कहते है।
- स्तर 3 {एल 3 लेवेल} वैसी आपदा जिससे निपटना जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की क्षमता से बाहर हो और उसे इसके लिए राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता की जरूरत हो एल 3 लेवेल कहते है।

6. स्तर 2 की आपदा का प्रबंधनः

6.1 आपदा के स्तर 2 होने के निर्णय के संकेतकः

- विशाल तबाही और वड़ी संख्या में जीवन क्षति
- जिला प्रशासन एवं जिला प्रत्युत्तर तंत्र का टुटना
- लोगों का भारी विस्थापन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के उभरते जोखिम

स्तर 2 के आपदा की धोषणा की अधिकारीः राज्य तकनीकी एजेंसियों के सुझाव पर या डीडीएमए के अनुरोध पर राज्य राहत आयुक्त और एसडीएमए किसी आपदा को स्तर 2 होने की धोषणा कर सकता है।

6.2 स्तर 2 की आपदा मे मुख्य कार्यः

- मौजूदा आकस्मिक योजना और समझादारी के अनुसार पड़ोसी जिले से सहायता लेना
- प्रमंडलीय आयुक्त और राहत आयुक्त से प्रमंडलीय संसाधन/तंत्र को सक्रिय करने का अनुरोध करना

- एसडीएमए एवं राज्य राहत आयुक्त से राज्य संसाधन/तंत्र को सक्रिय करने का अनुरोध करना
- प्रमंडल एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों से प्राप्त संसाधनों की प्राप्ति की व्यवस्था करना,उनकी त्वरित ब्रीफिंग करना यथा संभव कार्य योजना बनाना एवं उन्हें आवश्यकत जगह पर तैनात करना
- जिला इओसी को अतिरिक्त संसाधन देकर राज्य स्तरीय संसाधन प्राप्त करने एवं उससे समन्वयन में क्षमता बढ़ाना
- राज्य प्राधिकरण एवं अन्य एजेंसियों से समन्वय कर प्रत्युत्तर एवं रिकवरी के लिए रणनीति विकसित करना
- तात्कालिक प्राथमिकताओं को पुरा करने के बाद मध्य एवं दीर्घकालीन जरूरतों के लिए संसाधन का त्वरित आकलन करना एवं राज्य सरकार को मॉग पत्र सौंपना
- आवश्यकतानुसार नागरिक पदाधिकारियों की मदद के लिए/जान बचाने के लिए निकट के इलाके में सशस्त्र बल के गठन के लिए अनुरोध करना
- आवश्यकतानुसार राज्य स्तर के एसडीआरएफ और अन्य परामिलेट्री सेना को सक्रिय करने का अनुरोध करना
- प्रमंडलीय एवं राज्य स्तर की एजेंसियों से बातचीत के लिए इंसिडेंट कमांडर अलग से एक जबावदेह अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

6.3 भारतीय सशस्त्र बल से सहायता:

सशस्त्र बल को विशेषज्ञता हासिल होती है अतः जीवन,संपत्ति एवं बुनियादी संरचनाओं में होने वाली क्षति को कम करने में सशस्त्र बल का उपयोग बहुत ही लाभकारी है। यह सशस्त्र बल पुरे देश में सुनियोजित स्थान पर स्थित है।

- प्रत्युत्तर पदाधिकारी {जिला समाहर्त्ता} को यदि यह लगे कि जिला प्रशासन आपदा की स्थिति में अब और ज्यादा सक्षम नही रह गया है तो वह सशस्त्र बल की सहायता का अनुरोध कर सकता है।
- जिला समाहर्त्ता अपने निकट स्थित सशस्त्र बल स्टेशन से सहायता का अनुरोध कर सकता है।
- सशस्त्र बल आपदा प्रभावी क्षेत्र में जिला प्रशासन के निर्देश के अनुरूप काम करता है।
- सशस्त्र बल जिले के इओसी के सधन समन्वय में काम करेगा
- संचालन यूनिट के कमांडींग अधिकारी जिला समाहर्त्ता के साथ कार्य प्रगति स्थिति साझा करेगा।

- सशस्त्र बल स्थिति के अनुरूप यथा जरूरत चिकित्सा,भोजन एवं आश्रय की सहायता करेगा।
- अगर जिले में कोई सशस्त्र यूनिट न हो तो जिला समाहर्त्ता प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध कर सकता कि वह अपने क्षेत्र के सशस्त्र बल यूनिट के कमांडिंग अधिकारी से संवाद स्थापित करे और सहायता का अनुरोध करे।

7. स्तर 3 की आपदा का प्रबंधनः

7.1 स्तर 3 की आपदा के होने के निर्णय के संकेतकः

- विशाल तबाही और वड़ी संख्या में जीवन क्षति
- जिला प्रशासन एवं जिला प्रत्युत्तर तंत्र का टुटना
- लोगों का भारी विस्थापन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के उभरते जोखिम

स्तर 3 की आपदा में सहायताःप्रभावित क्षेत्र में राज्य सरकार के बुते से बाहर हुई क्षति की स्थिति में राज्य सरकार/एसडीएमए के अनुरोध पर केन्द्र सरकार/एनडीएमए तकनीकी एवं संसाधन सहायता प्रदान कर सकता है।

7.2 डीडीएमए स्तर के मुख्य कार्यः

- वर्तमान आकस्मिक योजना और समझदारी के आधार पर पड़ोसी जिले से सहायता की मॉग करना।
- प्रमंडलीय आयुक्त और राहत आयुक्त से प्रमंडलीय संसाधन एवं तंत्र को सक्रिय करने का अनुरोध करना।
- एसडीएमए तथा राज्य राहत आयुक्त से राज्य संसाधन एवं तंत्र को सक्रिय करने तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण से आवश्यक अनुवर्ती सहायता के लिए अनुरोध करना।
- प्रमंडल एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों से प्राप्त संसाधनों की प्राप्ति की व्यवस्था करना,उनकी त्वरित ब्रीफिंग करना यथा संभव कार्य योजना बनाना एवं उन्हें आवश्यकत जगह पर तैनात करना
- जिला इओसी को अतिरिक्त संसाधन देकर राज्य स्तरीय संसाधन प्राप्त करने एवं उससे समन्वयन में क्षमता बढ़ाना
- राज्य एवं केन्द्रीय प्राधिकरण एवं अन्य एजेंसियों से समन्वय कर प्रत्युत्तर एवं रिकवरी के लिए रणनीति विकसित करना
- तात्कालिक प्राथमिकताओं को पुरा करने के बाद मध्य एवं दीर्घकालीन जरूरतों के लिए संसाधन का त्वरित आकलन करना एवं राज्य सरकार को मॉग पत्र सौंपना

- आवश्यकतानुसार नागरिक पदाधिकारियों की मदद के लिए/जान बचाने के लिए निकट के इलाके में सशस्त्र बल के गठन के लिए अनुरोध करना
- आवश्यकतानुसार क्रमशः केन्द्र/राज्य स्तर के एनडीआरएफ/एसडीआरएफ और अन्य पारामिलेट्री सेना को सक्रिय करने का अनुरोध करना
- प्रमंडलीय एवं राज्य स्तर की एजेंसियों से बातचीत के लिए इंसिडेंट कमांडर अलग से एक जबावदेह अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

7.3 भारतीय सशस्त्र बल से सहायता

सशस्त्र बल को विशेषज्ञता हासिल होती है अतः जीवन,संपत्ति एवं बुनियादी संरचनाओं में होने वाली क्षति को कम करने में सशस्त्र बल का उपयोग बहुत ही लाभकारी है। यह सशस्त्र बल पुरे देश में सुनियोजित स्थान पर स्थित है।

- डीडीएमए के अध्यक्ष या इंसिडेंट कमांडर को यदि यह लगे कि जिला प्रशासन आपदा की स्थिति में अब और ज्यादा सक्षम नही रह गया है तो वह सशस्त्र बल की सहायता का अनुरोध कर सकता है।
- सशस्त्र बल आपदा प्रभावी क्षेत्र में जिला प्रशासन के निर्देश के अनुरूप काम करेगा और संचालन यूनिट के कमांडींग अधिकारी इओसी एवं डीडीएमए के साथ कार्य प्रगति स्थिति साझा करेगा।
- अगर जिले में कोई सशस्त्र यूनिट न हो तो जिला समाहर्त्ता प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध कर सकता कि वह अपने क्षेत्र के सशस्त्र बल यूनिट के कमांडिंग अधिकारी से संवाद स्थापित करे और सहायता का अनुरोध करे।

भाग–3:योजना का कार्यान्वयन

यह अध्याय 4 भागों में विभाजित है–{क} इस योजना के कार्यान्वयन के पदाधिकारी, {ख} जबावदेही एवं उत्तरदायित्व, {ग} जिला स्तर पर उपलब्ध आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रावधान और {ध} विविध हितधारकों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सुझाये गये अनुवर्ती कार्य

8. पदाधिकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सभी जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठीत होगा और यह एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना विकसित करेगा।

9. जबावदेही एवं उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार डीडीएमए ही समग्र योजना निर्माण,समन्वयन एवं कार्यान्वयन के लिए जबावदेह तथा उत्तरदायी होगा।

9.1 राष्ट्रीय एवं राज्यीय नीतियों के कार्यान्वयन सहित राष्ट्रीय,राज्यीय एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए समन्वय एवं अनुश्रवण करना।

9.2 यह सुनिश्चित करना कि जिले मे आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है,और आपदा की रोकथाम के उपाय कर लिये गयें है साथ ही सरकार के विभाग तथा स्थानीय अभिकरणों द्वारा आपदा के प्रभाव के शमन के कार्य कर लिये गये है।

9.3 सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय एवं राज्यीय प्राधिकरणों द्वारा आपदा की रोकथाम, उसके प्रभाव के शमन के उपाय,पूर्व तैयारी और प्रत्युत्तर के उपाय आदि के जो निर्देश दिये गये है उन्हें जिला स्तर के सभी लाइन विभाग,स्थानीय अभिकरण और अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने पालन कर लिया है।

9.4 किसी आपदा/भावी आपदा के प्रति पूर्व तैयारी एवं प्रत्युत्तर उपायों की समीक्षा करना तथा संबंधित विभाग या अभिकरणों को उन्हें बेहतर करने के लिए निर्देश देना।

9.5 जरूरत पर आपदा की रोकथाम एवं उसके प्रभाव के शमन के लिए जिला एवं स्थानीय अधिकारियों को उपाय करने के लिए निर्देश देना।

9.6 जिला के सरकारी विभागों द्वारा तैयार योजनाओं सहित डीडीएमपी के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

9.7 जिला स्तर के सरकारी विभागों को उनके विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्व को सामिल कराने के लिए निर्देश निर्धारित करना।

9.8 जिले में विभिन्न स्तर के अधिकारी,कर्मचारी एवं स्वंय सेवी बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना एवं समन्वय करना।

9.9 जिला प्रत्युत्तर योजना के अनुरूप विभागीय प्रत्युत्तर योजना बनाने हेतु दिशा निर्देश निर्धारित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि जिले के सभी विभागों ने स्वंय की विभागीय प्रत्युत्तर योजना बना ली है।

9.10 पूर्व चेतावनी तंत्र के स्थापना करना,उसके रखरखाव, उसकी समीक्षा एवं उन्नयन के कार्य करना तथा जनता के बीच उचित सूचना का प्रसारण करना।

9.11 किसी आपदा/भावी आपदा के प्रभावी प्रत्युत्तर के लिए जिला स्तर के सरकारी विभाग या अधिकारी के लिए निर्देशिका निर्धारित करना।

9.12 किसी आपदा/भावी आपदा के प्रत्युत्तर कार्यो का समन्वयन करना।

9.13 आपदा प्रबंधन मुद्दे पर कार्यरत सरकारी,गैर सरकारी हितधारकों के बीच समन्वय करना,परामर्श देना एवं सहायता करना।

9.14 रोकथाम,शमन तथा अन्य कार्य को प्रभावी ढ़ंग से करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय करना,उनके लिए दिशा निर्देश तय करना एवं तकनीकी–गैर तकनीकी सहायता देना।

9.15 सुरक्षित निकासी स्थलों को चिन्हित करना तथा वहॉ निकासी नियमावली के तहत बुनियादी सुविधा देना।

9.16 राहत एवं बचाव सामग्रियों का भंडारण करना तथा सुनिश्चित करना कि संचार व्यवस्था दुरूस्त रहे।

9.17 आपदा प्रबंधन के विविध पहलुओं पर राज्य प्राधिकरण को सूचना देना।

9.18 जिला स्तरीय प्रत्युत्तर योजना की समीक्षा करना तथा इससे अद्यतन करना।

9.19 राज्य प्राधिकरण द्वारा दिये गये कामों को पूरा करना तथा आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी फौरी कार्रवाई करना।

10. जिला के लिए वित्तीय प्रावधान:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विविध वित्तीय प्रावधान किये गये है–

10.1. केन्द्र एवं राज्य स्तर पर कोष की उपलब्धता:

10.1.1. 13वें वित्तीय आयोग की नीधि:

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्त मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन संस्थानों की सुदृड़ता,क्षमता निर्माण एवं प्रत्युत्तर तंत्र के लिए कोष आवंटित किया है।

वर्षवार आवंटित कोष {करोड़ रूपयें में}

राज्य	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	कुल {लाख रूपयें में}
बिहार {एसडीआरएफ}	334.49	351.21	368.77	387.21	406.57	1848.25
मधुबनी {डीडीआरएफ} °	8.80	9.24	9.70	10.18	10.69	48.61

**उपरोक्त राशि बिहार राज्य को मिली कुल आवंटिक राशि का 38वॉं हिस्सा है जिसे राज्य के 38 जिले के आधार पर गणना की गयी है।

10.1.2 आपदा प्रत्युत्तर हेतु क्षमता निर्माण के लिए आवंटित कोष

जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बताया गया हैं,प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर तथा राज्य एवं जिला की आपदा प्रबंधन योजनायें बनाने हेतु जिला प्रशासन की क्षमता वृध्दि के लिए कोष का निर्धारण किया गया हैं।

वर्षवार आवंटित कोष {करोड़ रूपयें में}

राज्य	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	कुल {लाख रूपयें में}
बिहार {एसडीआरएफ}	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00

10.1.3 मुख्य मंत्री राहत कोषः

राज स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग तथा सड़क,हवाई जहाज एवं रेल दूर्धटना से प्रभावित संकटग्रंस्त लोगों को तात्कालिक सहायता पहुॅंचाने के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष के अधीन एक कोष का गठन राज्य स्तर पर किया गया है।

10.1.4 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना {एमपीलेड्स}:

एपमीलेड्स की निधि से सांसद की स्वीकृति लेकर संबंधित मार्गनिर्देशिक के अनुरूप जिला पदाधिकारी राशि विमुक्त कर सकता है।

10.1.4.1 प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के आवश्यक कार्य करने के लिए 5 करोड़ रूप्यें आवंटिक किये जाते है। योजना को सांसद चिन्हित करते है और जिला अधिकारी उनका कार्यान्वयन करते है। आवंटित राशि को तात्कालिक मुख्य परियोजना {फ्लेगशीप प्रोग्राम} तथा मनरेगा एवं अन्य विकास परियोजना में सम्मिलित किया जा सकता है।

10.1.4.2 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में सांसद निधि से कार्य किये जा सकते है। प्रभावित क्षेत्र से बाहर के सांसद भी प्रभावित क्षेत्र में अधिकत्तत 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष तक खर्च करने की अनुसंसा कर सकते है।

10.1.4.1 गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति सांसद प्रभावित जिले में 50 लाख रूपये तक खर्च करने की अनुशंसा कर सकता है।

10.1.5.अन्य श्रोतः

10.1.5.1 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के साथ मिलानः

- नरेगा योजना में सूखा प्रभावित क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय राहत दिये जाने का एक प्रावधान किया गया है।
- त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 5 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी है।
- इंदिरा आवास योजना की 10 प्रतिशत राशि प्रभावित परिवारों को आवास देने के लिए निर्धारित है।
- सूखा प्रभावित क्षेत्र में मिडे मील कार्यक्रम को सर्वदा कार्यशील रहने के प्रावधान किये गये है।

10.1.5.2 गैर सकारी संगठन एवं निजी दाताः

यदि जिला प्रशासन किसी विकास योजना का निर्णय लेता है तो गैर सरकारी संगठन या निजी दाता उस योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्व जोड़ने हेतु सहायता दे सकता है। राहत कार्यक्रम के दौरान और रिकवरी अवधि में भी उपलब्ध संसाधनों के आलोक में गैर सरकारी संगठन एवं निजी दाता इएसएफ नोडल एजेंसी को सहायता कर सकता है।

10.1.5.3 बीमाः

मधुबनी एक कृषि प्रधान जिला है एवं यहॉं की अधिकांश आबादी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर है। आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति 2009 में माना गया कि किसी आापदा में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से वहॉं हुई वड़ी हानि की क्षतिपूर्ति नही होती है अतःउत्पादन एवं मौसम पर आधारित बड़े पैमाने पर फसल बीमा कार्यक्रम जैसे नये वित्तीय उपकरण प्रोत्साहित किये जॉय ताकि जिले में प्रतिवर्ष आने वाली प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति की भरपाई के लिए किसानों को वित्तीय सहायता मिल सके।

11. अनुवर्ती कार्यक्रमः

जिला आपदा प्रबंधन मधुबनी का यह दस्तावेज राष्ट्र, राज्य, जिला एवं स्थानीय हितधारक यथा मधुबनी इंटर एजेंसी ग्रुप एवं पंचायत राज प्रतिनिधियों से व्यापक परामर्श कर विकसित किया गया है। प्रयास किया गया है कि विविध तरह के हितधारक एवं समुदाय के प्रतिनिधियों सहित सरकारी संस्थानों को एक साथ लाकर उनके बीच समन्वयन हो। व्यापक परामर्श और क्षेत्र दौरा के माध्यम से मधुबनी जिला के संदर्भ में नये विचारों को योजना में शामिल करने का प्रयास किया गया है। ये भी प्रयास किया गया है कि विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यीूकरण उपाय अनिवार्य रूप से शामिल हो।

इसके लिए निम्नलिखित न्यूनतम अनुवर्ती कार्य सुझाये गये है–

11.1 डीडीएमए:

- प्रत्येक तरहे के खतरों के लिये अलग–अलग विशिष्ट और व्यापक आकस्मिक योजना बनाना
- खतरा / जोखिमों का विस्तृत आकलन करना
- इओसी स्थापित करना
- पंचायत स्तरीय कार्य बल {टास्क फोर्स} / समितियॉ गठित करने को सुनिश्चित करना
- आपदा प्रबंधन योजना को वर्ष में न्यूनतम दो वार समीक्षा तथा एक वार अद्यतन करना
- ऑकड़े / सूचनाओं को वार्षिक रूप से उन्नत करना
- आपदा प्रबंधन योजना में वर्णित कार्यो के प्रभावी संपादन सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार समिति गठित करना।
- प्रत्येक विभाग के अपने व्यापक विभागीय आपदा प्रबंधन योजना / मानक कार्य पध्दति {एसओपी} बनाने को सुनिश्चित करना।
- जिला के सभी विभाग तथा स्थानीय प्राधिकारों के पास उपलब्ध संसाधनों की जॉच सूची बनाना
- जिला आपदा प्रत्युत्तर बल का गठन करना
- जिला का खतरा नक्शा {हिजार्ड मैप} बनाना
- प्रारंभिक आकलन टीम के प्रतिनियोजन के लिए प्रपत्र बनाना

11.2 आपातकालीन परिचालन केन्द्र {इओसी}:

- मानव संसाधन एवं उपकरणों की सूची बनाना
- सभी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना तथा सड़को की सूची बनाना
- सुरक्षित आश्रय स्थलों की सूची बनाना
- संचार एवं प्रसारण के सभी माध्यमों की सूची बनाना
- सभी नोडल इएसएफ की सूची बनाना
- प्रत्येक नोडल इएसएफ के पास उपलब्ध संसाधनों की जॉच सूची बनाना
- आपातकालीन परिस्थिति के लिए इओसी भवन में सभी इएसएफ के बैठने के लिए स्थायी जगह बनाना

- उचित दस्तावेजीकरण एवं सूचना के प्रसारण के लिए जॉच सूची बनाना
- सूचना एवं प्रसारण की सभी एजेंसियों की सूची उनके पते के साथ बनान

11.3 आवश्यक सेवा कार्य {अएसएफ}:

- सभी संसाधन एवं उपकरण आदि की जॉच सूची बनाना
- संसाधन एवं सामग्री आदि के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए प्रपत्र बनाना
- प्रशिक्षण एवं मॉकड्रील के लिए मॉड्युल बनाना
- सभी महत्वपूर्ण संपर्क नंम्बर तथा डाक पता की जॉच सूची बनाना

11.4 सरकारी विभाग:

- विभागीय आपदा प्रबंधन योजना तथा विशिष्ट एसओपी बनाना
- खतरा / जोखिमों के व्यापक आकलन करना
- आपदा प्रबंधन के लिए किसी को नोडल पदाधिकारी नामित करना
- कर्मचारियों की सूची बनाकर उनकी भूमिका एवं जवावदेही को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना
- विभाग को उपलब्ध संसाधनों की जॉच सूची बनाना
- अपनी जवावदेहियों के प्रभावी निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधन एवं सामग्रियों की सूची बनाना और उनकी प्राप्ति हेतु कार्रवाई करना
- सूचना संग्रह एवं उचित दस्तावेजीकरण के लिए प्रपत्र बनाना

11.5 ग्राम पंचायत समितियॉ:

- इस आपदा प्रबंधन योजना के लागु होने के तीन महीनों के भीतर प्रत्येक समितियों में सदस्य नामित कर देना।
- खतरा / जोखिम का व्यापक आकलन करना
- प्रत्येक सदस्य की भूमिका एवं जवावदेही सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करना
- समितियों के पास उपलब्ध संसाधनों की जॉच सूची बनाना

अनुच्छेद

मधुबनी जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जरूरी महत्वपूर्ण सूचनाओं की सूची–

क्रमांक	विषय	मंतव्य	अंतिम अद्यतन	अगली अद्यतन तिथि
महत्वपूर्ण संपर्क विवरण				
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधुबनी की संरचना		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
2.	जिला आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी मधुबनी		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
3.	जिला स्तरीय सरकारी पदाधिकारियों के संपर्क		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
4.	लाईन डिपार्टमेंट के संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
5.	पुलिस डिपार्टमेंट के संपर्क विवरण	प्रत्येक अनुमंडल में उपलब्ध	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
6.	मधुबनी उर्जा विभाग के अभियंताओं के संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
7.	बीएसएनएल अधिकारियों के संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
8.	अनुमंडल तथा प्रखंड अधिकारियों के संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
9.	एनडीएमए नयी दिल्ली के संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
10.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,पटना के नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
11.	एनडीआरएफ अधिकारी एवं निकटतम बटालियन के संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
12.	मिलिट्री,वायु सेना एवं पूनर्वास विभाग के संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
13.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा वेधशाला के संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
14.	ग्राम पंचायत मुखियाओं के नाम तथा संपर्क विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014

कमांक	विषय	मंतव्य	अंतिम अद्यतन	अगली अद्यतन तिथि
जनसांख्यिकी एवं अन्य संदर्भ विवरण				
15.	आबादी विस्तार, लिंग अनुपात,बाल आबादी 7 वर्ष से कम तथा उपर की आबादी	जनगणना, 2011		जनगणना, 2021
16.	जिले की कुल आबादी में महिला पुरूषों का हिस्सा	जनगणना, 2011		जनगणना, 2021
17.	साक्षर महिला पुरूष तथा साक्षरता दर	जनगणना, 2011		जनगणना, 2021
18.	आवास सूची एवं आवास जनगणना ऑकड़ा	जनगणना, 2011		जनगणना, 2021
19.	प्रखंडवार श्रमिक विवरण	जनगणना, 2011		अक्टूबर,2013
20.	अनुमंडल एवं प्रखंडवार ग्राम पंचायतों की संख्या तथा राजस्व गॉव		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
21.	प्रखंडवार ग्राम पंचायत सूची		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
22.	मासिक औसत वर्षापात ऑकड़ा	संदर्भ–जिला सांख्यिकी विभाग	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
23.	मासिक तापकम ऑकड़ा	संदर्भ–जिला सांख्यिकी विभाग	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
24.	नदिवार खतरा स्तर एवं अधिकतम जल स्तर विवरण		अप्रैल,2013	अक्टूबर ,2013
संसाधन विवरण				
25.	मधुबनी जिले की सड़क संपर्क विवरण	संदर्भ–सड़क निर्माण विभाग	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
26.	आपातकालीन परिचालन केन्द्रे में भंडारण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
27.	मधुबनी जिले के बाढ़ क्षेत्र	संदर्भ–जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
28.	मधुबनी जिले की बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलों की सूची		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
29.	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलों का पूर्व स्थापन		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
30.	वर्षामापक अधिकारियों का विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014

कमांक	विषय	मंतव्य	अंतिम अद्यतन	अगली अद्यतन तिथि
संसाधन विवरण				
31.	एनडीआरएफ अधिकारी, गृह रक्षक एवं स्वंय सेवकों की सूची		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
32.	प्रशिक्षित एनसीसी एवं एनवाइके कैडेटों की सूची		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
33.	प्रखंडवार हेलीपेड सूची		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
34.	जिले के प्रखंडों में स्थापित राहत केन्द्रों के विवरण	क्षमता, उपलब्ध संसाधन एवं प्रभारी पदाधिकारियों के विवरण सहित	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
35.	राहत शिविरों में पेयजल संसाधन की स्थिति		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
36.	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीएचइडी के हेंडपम्प और शौचालयों की स्थिति	पीएचइडी द्वारा	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
37.	चिन्हित आश्रय एवं पेयजल स्रोतों की प्रखंडवार संख्या	पीएचइडी द्वारा	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
38.	अस्थायी आश्रय शिविरों की प्रखंडवार सूची		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
39.	स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा निर्मित आश्रयों की सूची		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
40.	जिले के प्रखंडों मे पोलिथिन शीट की उपलब्धता	जिले के सभी प्रखंड कार्यालय द्वारा	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
41.	प्रखंडवार नाव सुविधा विवरण	डीडीएमए द्वारा	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
42	जिले में निजी एवं सार्वजनिक नावों के विवरण	आपदा प्रबंधन विभाग एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
43	जिले के अग्निशामक केन्द्रों पर संसाधन		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
44.	स्वास्थ्य सुविधायें संसाधन	जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
45.	जिले में स्वास्थ्य सुविधा के लिए मानव संसाधन		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
46.	पीएचसी/एचएससी/एपीएससी में नियुक्त एएनएम		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014

कमांक	विषय	मंतव्य	अंतिम अद्यतन	अगली अद्यतन तिथि
संसाधन विवरण				
47.	प्रखंडवार जल संसाधन	By District Minor Irrigation Dept.	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
48.	विभाग द्वारा पानी की गुणवत्ता की जॉच		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
49.	प्रखंडवार सिंचाई संसाधन	जिला मत्स्य पालन द्वारा	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
50.	प्रखंडवार जनवितरण दूकाने		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
51.	इंटर एजेंसी ग्रुप मधुबनी की सूची {उनके पास क्षेत्र मे उपलब्ध संसाधन विवरण सहित}	मधुबनी जिला स्तर पर कार्यरत मानवीय एजेंसियों का यह एक संगठन है {गैर सरकारी संगठनों का यह मुख्य नेटवर्क है}	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
52.	मधुबनी के हितधारकों की आपदा प्रबंधन कार्य योजना सूची	ये सभी मधुबनी जिले के चिन्हित मुख्य हितधारक है {डीडीएमए, मधुबनी आइएजी और समुदाय द्वारा चिन्हित}	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
संवेदनशीलता संबंधि विवरण				
53.	बाढ़ संवेदनशील गॉवों की सूची	डीडीएमए, मधुबनी आइएजी और समुदाय द्वारा चिन्हित	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
54.	प्रखंडवार नदियॉ एवं उनके प्रभाव क्षेत्र का विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
55.	जिले के तटबंधों में अत्यधिक संवेदनशील स्थलों के विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
56.	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल एक और दो तथा पश्चिमी कोसी नहर के संवेदनशील स्थलों का विवरण		अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
जिला आपदा प्रबंधन योजना के सलाहकार				
57.	जिला आपदा प्रबंधन योजना के लिए गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति	डीडीएमपी मधुबनी निर्माण प्रक्रिया में विकसित	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
58.	जिला आपदा प्रबंधन योजना के लिए गठित राज्यीय सलाहकार समिति	डीडीएमपी मधुबनी निर्माण प्रक्रिया में विकसित	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014
59.	जिला आपदा प्रबंधन योजना के लिए गठित जिला सलाहकार समिति	डीडीएमपी मधुबनी निर्माण प्रक्रिया में विकसित	अप्रैल,2013	अप्रैल,2014

कमांक	विषय	मंतव्य	अंतिम अद्यतन	अगली अद्यतन तिथि
नक्शों की सूची				
60.	बिहार का बाढ़ क्षेत्र	राज्य स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
61.	बिहार का भूकम्प क्षेत्र	राज्य स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
62.	बिहार का चक्रवात क्षेत्र	राज्य स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
63.	बिहार का बहु खतरा क्षेत्र	राज्य स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
64.	बिहार का निकासी क्षेत्र	राज्य स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
65.	मधुबनी जिले का प्रखंड सीमा,सड़क एवं रेल दर्शाता प्रशासनिक नक्शा	जिला स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
66.	मधुबनी के सड़क प्रमंडल नक्शा	जिला स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
67.	मधुबनी के सड़क संपर्क नक्शे	जिला स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
68.	मधुबनी जिले के ग्राम पंचायतों का नक्शा	जिला स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
69.	मधुबनी जिला का निकासी नक्शा	जिला स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
70.	मधुबनी जिले की नदियों का नक्शा	जिला स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
71.	मधुबनी जिले की बाढ़ का नक्शा	जिला स्तरीय नक्शा	अप्रैल,2013	यथा जरूरत
प्रपत्र एवं प्रश्नावलियाँ				
72.	खतरा, संवेदनशीलता, जोखिम, क्षमता एवं संसाधन ऑकलन प्रश्नावली	स्फेयर इंडिया,मधुबनी आइएजी,डीडीएमए समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा विकसित		
73.	सामान्य त्वरित आकलन प्रपत्र {स्फेयर इंडिया}	स्फेयर इंडिया तथा इनकी सदस्य एजेंयिों द्वारा विकसित {आपदा होने पर 36–48 धंटों के भीतर उपयोगी}		
74.	सामान्य विस्तृत आकलन प्रपत्र {स्फेयर इंडिया}	स्फेयर इंडिया तथा इनकी सदस्य एजेंयिों द्वारा विकसित {आपदा होने पर 72–96 धंटों के भीतर उपयोगी}		
75.	प्रारंभिक त्वरित आकलन प्रपत्र {आइएएससी}	इंटर एजेंसी स्टेंडिंग कमिटी द्वारा विकसित		
76.	प्रारंभिक त्वरित आकलन प्रपत्र की मार्गदर्शिका टिप्पणी {आइएएससी}	आकलन प्रपत्र के उयोग के लिए आइएएससी द्वारा मार्ग निर्देशिका		
77.	सीआरएफ एवं एनसीसीएफ की अद्यतन मार्गनिदेर्शिका	आपदा राहत कोष एवं राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष के अंतर्गत राहत प्रावधानों की मार्गनिर्देशिका		
78.	महत्वपूर्ण वेवसाइट	विविध सूचना जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण वेवसाइटें		

क्रमांक	विषय	मंतव्य
महत्वपूर्ण सूचनायें		
79.	औसत वैश्विक जनसंख्या संरचना	संदर्भ–स्फेयर हैंड बुक
80.	पारिवारिक जलशोधन एवं भंडारण निर्णय श्रेणी {स्फेयर}	संदर्भ–स्फेयर हैंड बुक
81.	पोषण आवश्यकतायें	संदर्भ–स्फेयर हैंड बुक
संदर्भ		
82.	समन्वयन हेतु संदर्भ	संदर्भ–स्फेयर हैंड बुक
83.	पारदर्शिता एवं उतरदयित्व के लिए संदर्भ	संदर्भ–स्फेयर हैंड बुक
84.	आकलन के लिए संदर्भ	संदर्भ–स्फेयर हैंड बुक

टिप्पणी:

टिप्पणी:

टिप्पणी:

टिप्पणी:

टिप्पणी:

जिलाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मधुबनी, बिहार

फोनः +91-06276-222217
फैक्सः +91-06276-222209
ईमेलः dm-madhubani.bih@nic.in